

अध्याय-III

अनुपालना लेखापरीक्षा

सहकारी सोसायटियों के विभाग

3.1 रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

रजिस्ट्रार ने पंजीकृत सहकारी सोसायटियों के वर्षवार ब्यौरों का अनुरक्षण नहीं किया था। उन सोसायटियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जो अपने लेखा परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करने, कॉपरेटिव शिक्षा फण्ड के अंशदान, वार्षिक सामान्य बैठक के आयोजन, वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने, निवाचन कराए जाने इत्यादि में असफल रही। सोसायटियों में निवेशित शेयर पूँजी तथा बकाया ऋणों की वसूली किए जाने को सुनिश्चित नहीं किया गया था। एस.ई.ई.एफ. फण्ड का वित्तीय प्रबन्धन भी दोषपूर्ण पाया गया था।

यह लेखापरीक्षा जिसमें रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रा.रा.क्षे, दिल्ली सरकार की वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि को सम्मिलित किया गया है, अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण में विभाग के निष्पादन का निर्धारण करने के लिए आयोजित किया गया। नीचे महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा उपलब्धियाँ दी गई हैं:

3.1.1 पंजीकृत सोसायटियों का अविश्वसनीय डाटाबेस

दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 4(1) तथा 7(1) विभिन्न प्रकार की सोसायटियों को रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराने का प्रावधान करता है। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने निम्नलिखित अनियमिताओं को दर्शाया:

- रजिस्ट्रार ने पंजीकृत सहकारी सोसायटियों के लिए प्रपत्र 4 में पुस्तिका या इलैक्ट्रॉनिक किसी भी रूप में भी वर्षवार पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया, जबकि दि.स.सो. नियम, 2007 के नियम 7 के अन्तर्गत ऐसा करना अपेक्षित है। तथापि विभाग के कम्प्यूटर स्कन्ध द्वारा प्रदत्त डाटा के अनुसार, 31 मार्च 2013 तक विभाग के अन्तर्गत 5558 सहकारी सोसाइटियाँ पंजीकृत थीं। सोसाइटियों को श्रीनीवार स्थिति (अनुलग्नक 3.1.1) में दी गई हैं।

विभाग ने जवाब (दिसम्बर 2013) दिया कि सभी क्षेत्रीय प्रभारियों को प्रपत्र 4 में तुरन्त प्रभाव से मैनुअल/इलैक्ट्रॉनिक रजिस्टर का अनुरक्षण आरम्भ किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

- 66 सोसाइटियों को जिन्हें विभाग ने ऋण दिया था और 121 गैर सरकारी सोसाइटियों को जिनमें विभाग ने पूर्व में अंश पूँजी में निवेश किया था, 5558 सोसायटियों के डाटाबेस में सम्मिलित नहीं किया गया था। उदाहरण के लिए अगस्त 1970 में पंजीकृत की गई दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड जिसमें विभाग ने ₹ 30.26 रोड़ का निवेश किया था, डाटाबेस में नहीं थी। इसके अतिरिक्त, 1784 सोसाइटियाँ (1063 क्रियाशील और 721 निष्क्रिय) 1 जनवरी 1974 को पंजीकृत दर्शाई गई, तथा इन सोसाइटियों के तत्संबंधी कोई अभिलेख विभाग के पास नहीं थे। इस प्रकार की सोसायटियों के लिए किसी अभिलेख की अनुपस्थिति में विभाग

के द्वारा इन 1063 सहकारी सोसायटियों के द्वारा निष्पादित कार्यों की निगरानी हेतु अपनाई गई क्रियाविधि को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

विभाग ने जबाब (दिसम्बर 2013) दिया कि उन सभी सोसायटियों जिनमें ऋणों/पूँजी निवेश किया था का पता लगाया गया तथा सभी क्षेत्रीय प्रभारियों को इन मामलों में वसूली कार्रवाई किए जाने तथा डाटाबेस का अद्यतन किए जाने के लिए एक संकलित सूची दी गई है।

- जैसाकि केवल कुछ ही सोसाइटियाँ वार्षिक प्रतिवेदन (आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है) नियमित रूप से प्रस्तुत कर रही थीं, यह आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता था कि डाटाबेस में क्रियाशील दर्शाई गई 3822 सोसाइटियाँ वास्तव में क्रियाशील हैं और काम कर रही हैं।
- निरन्तर, तीन वर्षों तक निष्क्रिय रहने वाली सोसायटी को 'निष्क्रिय सोसायटी' के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाना अपेक्षित है, 2009-10 से 2011-12 के दौरान 415 सहकारी सोसाइटियाँ निरन्तर तीन वर्षों तक निष्क्रिय थीं, परन्तु उन्हें 2012-13 के दौरान निष्क्रिय के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया था। इस प्रकार, विभाग द्वारा रख रखाव की जा रही पंजीकृत सोसायटियों के डाटा बैंक सही स्थिति नहीं दर्शाते।

विभाग ने जबाब (दिसम्बर 2013) दिया कि वार्षिक आधार पर दोषपूर्ण सोसाइटियों को मैनुअल/सिस्टम जेनेरिटिड नोटिस की प्रस्तावना के लिए उनके कार्यकारी स्थिति को दिखाते हुए पंजीकृत सोसाइटियों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक रिटर्न/रिपोर्ट की वर्तमान क्रियाविधि का पुनरीक्षण किया जाएगा।

3.1.2 सोसाइटियों को परिसमाप्त न किया जाना

अधिनियम की धारा 94 निर्धारित करता है कि आवास निर्माण सहकारी सोसाइटी के मामले में, जिसमें सभी भूखण्ड उसके सदस्यों को आवंटित किए गए हैं और आधारभूत नागरिक सेवाएँ एक स्थानीय नागरिक निकाय को स्थानांतरित की गई है, रजिस्ट्रार को ऐसी सहकारी सोसाइटी को 60 दिनों का नोटिस देने के बाद उसको परिसमाप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ करनी चाहिए। ऐसे मामले में, जहाँ भूमि को निरंतर पट्टा आधार पर दिया गया है, परिसमाप्त करने से पूर्व पट्टेदार की पूर्व सहमति आवश्यक है। ऐसे मामले में जहाँ सोसाइटी को स्कूल सामुदायिक केन्द्र, औषधालय इत्यादि चलाने के लिए भूमि प्रदान की गई है, तो यदि सोसाइटी का सामान्य निकाय निवासियों के लाभ हेतु इन गतिविधियों को चलाने का निर्णय लेता है, तो ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने ऐसे कोई आंकड़े संकलित नहीं किए थे। तथापि उसने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि अधिकांश आवास निर्माण सोसाइटियों में, नागरिक सेवाएँ पहले ही स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं किन्तु सोसाइटियों को उनके पट्टेदारों (एल.एण्ड.डी.ओ./दि.वि.प्रा) की सहमति के बिना परिसमाप्त नहीं किया जा सकता था। तथापि वह पट्टेदारों से कोई पत्राचार प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसमें धारा 94 के प्रावधानों के अन्तर्गत समिलित सोसाइटियों को परिसमाप्त करने हेतु उनकी सहमति माँगी गई हो। अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा में परिसमाप्त की जाने योग्य सोसाइटियों की संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

अपने जवाब में विभाग ने कहा (दिसम्बर 2013) कि डाटा के संकलन तथा पट्टेदार के साथ की गई कार्डवाई के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा उपलब्धियों की शीघ्रता से अनुपालना की जाएगी।

3.1.3 2010-11 से 2012-13 के दौरान नए पंजीकरण

2010-11 से 2012-13 के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा 92 सहकारी सोसाइटियाँ पंजीकृत की गईं, इनमें से लेखापरीक्षा में परीक्षण हेतु 46 सोसाइटियाँ (50 प्रतिशत) का चुनाव किया गया। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए 44 मामलों के अभिलेखों के परीक्षण से निम्न तथ्य सामने आएः

3.1.3.1 सहकारी सोसाइटियों के पंजीकरण में अनियमितताएँ: अधिनियम की धारा 5 निर्धारित करती है कि एक प्राथमिक सहकारी सोसाइटी के मामले में प्रत्येक सदस्य एक भिन्न परिवार का सदस्य होगा। नियम 5(1) (न) प्रत्येक संप्रवर्तक सदस्य से शपथ पर इस आशय की घोषणा की अपेक्षा करता है कि वह पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र में शामिल किसी अन्य संप्रवर्तक सदस्य के परिवार का सदस्य नहीं है। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि 13 मामलों में 92 सदस्य सम्बन्धी थे। तीन सोसाइटियों में, पति और पत्नी दोनों अथवा पिता/माता व पुत्र प्रबंध समिति में पदासीन थे। इस प्रकार, विभागों के सम्बन्धित डिविजनों के कर्मचारियों ने ब्यौरों की जांच पड़ताल किए बिना सोसाइटियों के पंजीकरण की सिफारिश की थी।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि लेखापरीक्षा उपलब्धियों को सुधारकारी उपायों जैसे क्षेत्रीय सहायक रजिस्ट्रारों को सम्बन्धित सोसाइटियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के अतिरिक्त आवेदन पत्रों की यथोचित संवीक्षा करने हेतु निर्देश जारी करने के लिए नोट कर लिया गया है।

3.1.3.2 नई सहकारी सोसाइटियों के पंजीकरण में विलम्बः अधिनियम की धारा 9 में उपबन्ध है कि पंजीकरण हेतु आवेदन को प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर निपटा देना चाहिए। यदि 90 दिनों के भीतर आवेदन का निपटान करने में असमर्थ हो तो, रजिस्ट्रार सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसा किए जाने की उसकी असमर्थता के कारण बताए गए हो तथा सरकार उसे इस प्रकार के आवेदनों के निपटान के लिए अधिकतम अतिरिक्त 90 दिनों की अनुमति प्रदान कर सकती है। तथापि 44 सोसाइटियों में से 36 सोसाइटियाँ 477 दिनों तक के विलम्ब से पंजीकृत की गई थीं तथा रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं दर्शाया गया था जिसमें सरकार से समयावधि बढ़ाने की मौग की गई हो। विभाग ने अपने जवाब में (दिसम्बर 2013) में बताया कि दि.स.स. अधिनियम में निर्धारित मानकों के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदनों के निपटान के संबंध में सावधानी तथा समय पर अनुपालना किए जाने के लिए लेखापरीक्षा उपलब्धियों को नोट कर लिया गया है।

3.1.4 लेखों की लेखापरीक्षा

3.1.4.1 सहकारी सोसाइटियों द्वारा लेखापरीक्षित लेखों का प्रस्तुत न किया जाना

समुचित एवं समय पर लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है कि सहकारी सोसाइटियों का प्रबन्ध सहकारिता सिद्धान्तों एवं विवेकपूर्ण वाणिज्यिक पद्धतियों के अनुसार किया जाए। अधिनियम के प्रावधान यह अपेक्षा करते हैं कि निर्धारित तिथि से या वर्ष के लिए (अर्थात् 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

30 अप्रैल) अपने लेखे तैयार करने के 120 दिनों के भीतर अपने लेखों की लेखापरीक्षा वार्षिक रूप से विभाग द्वारा गठित पैनल से एक लेखापरीक्षक द्वारा करानी होगी और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिन सहकारी समितियों ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षित लेखों को प्रस्तुत नहीं किया, उनकी प्रतिशतता कुल क्रियाशील सोसाइटियों का 59 से 64.23 प्रतिशत के बीच थी। विभाग ने पंजीकृत सोसाइटियों से लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करने का मुद्दा उठाने का कोई प्रयत्न नहीं किया, जबकि 2007-12 के दौरान 11382 लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए।

चूककर्ता सोसाइटियों के विरुद्ध ₹ 1500 प्रतिवर्ष की दर से, जैसा कि नियम 167 के अन्तर्गत निर्धारित है, ₹ 1.71 करोड़ का अर्थदण्ड/जुर्माना नहीं लगाया गया। यह सोसाइटियों द्वारा लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत किया जाना तथा चूककर्ता सोसाइटियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निगरानी प्रणाली के अभाव की ओर संकेत करता है।

जहाँ लेखापरीक्षित लेखे प्राप्त हुए भी, वहाँ विभाग के पास इन सोसाइटियों की कार्य पद्धति में कमियाँ पहचानने और अधिनियम की धारा 62 और 67 के अनुसार उपचारात्मक कार्यवाही हेतु इन प्रतिवेदनों की समीक्षा हेतु कोई तन्त्र नहीं था।

विभाग ने अपने जवाब (दिसम्बर 2013) में बताया कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुबंधित हेतु प्रभावी क्रियाविधि बनाने, दोषपूर्ण मामलों इत्यादि के मामलों में जुर्मानों की उगाही से सम्बन्धित लेखापरीक्षा उपलब्धियों को सुधारात्मक कार्यवाही किए जाने के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाने हेतु नोट कर लिया गया है।

3.1.4.2 लेखापरीक्षित लेख प्रस्तुत न करने पर पंजीकरण निरस्त न किया जाना

अधिनियम की धारा 20(5) में अनुबंधित है कि ऐसी कॉपरेटिव सोसाइटियों के मामले में जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है अथवा कोई वार्षिक जनरल बॉडी मीटिंग निरन्तर पाँच वर्षों से नहीं की गई है, ऐसी सोसाइटियों को निरस्त मान लिया जाएगा तथा बताए गए पाँच वर्षों की अवधि के समाप्त होने पर कारपोरेट निकाय के रूप में बन्द कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त धारा 60(6) में अनुबंधित है कि रजिस्ट्रार समय पर लेखापरीक्षा नहीं करवाने वाली कॉपरेटिव सोसाइटियों की लेखापरीक्षा करवाएगा तथा कमेटी के चूक करने वाले अधिकारियों पर शुल्क भारित करेगा जिसकी वसूली उसी प्रकार की जाएगी जैसे भूमि राजस्व के रूप में वसूली की जाती है। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि 2007-12 के दौरान 1871 सोसाइटियों के लेखों की एक बार भी लेखापरीक्षा नहीं हुई। अतः इन 1871 सोसाइटियों को भंग कर देना चाहिए था और अधिनियम की धारा 20(5) के अनुसार वर्ष 2012-13 में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए था, तथापि विभाग ने उनका पंजीकरण निरस्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की और उन्हें अपने क्रियाकलापों को जारी रखने की अनुमति दी। विभाग ने लेखापरीक्षा आयोजित कराने और समिति के चूककर्ता अधिकारियों पर शुल्क प्रभारित करने हेतु धारा 60(6) के प्रावधानों का आव्वान नहीं किया।

विभाग ने अपने जवाब (दिसम्बर 2013) में बताया कि अधिकतर सोसाइटियों ने परिसम्पत्तियाँ तथा बाह्य देयतायों को नियत किया हुआ था, इसलिए उनको भंग नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने आगे कहा (दिसम्बर 2013) कि जहाँ कहीं भी धारा 60(6) के प्रावधानों की पालना की जा सकेगी तथा अधिनियम

की धारा 20(5) के अधीन उचित तथा सुधारात्मक कार्यवाही किए जाने संबंधित लेखापरीक्षा उपलब्धियों को नोट कर लिया गया है।

3.1.5 सहकारी शिक्षा निधि (स.शि.नि.)

अधिनियम की धारा 55 यह निर्धारित करती है कि सहकारी सोसाइटी किसी भी वर्ष में उसके शुद्ध लाभ में से लाभ का इतना हिस्सा स.शि.नि. में जमा करेगी, जितना स.शि.नि. नियमों में निर्धारित किया जाए, जो पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त 74(1) अनुबन्धित करता है कि प्रत्येक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी सी.ई.एफ. के अंशदान के रूप में प्रत्येक वर्ष के निबल लाभ का दो प्रतिशत की परिकलित राशि अधिकतम पचास हजार को फ्रेडिट करेगा। इस निधि को सहकारिता शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अन्य सहकारिता विकास गतिविधियाँ करने हेतु दिल्ली राज्य सहकारी संघ और दिल्ली राज्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र को सहायता अनुदान हेतु उपयोग किया जाएगा। 2010-13 के दौरान विभाग ने स.शि.नि. को अंशदान के रूप में ₹ 3.35 करोड़ प्राप्त किए और इसी अवधि के दौरान निधि में से ₹ 2.28 करोड़ व्यय किए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि विभाग ने सोसाइटीयों द्वारा स्वैच्छिक रूप से जमा की गई धनराशि का लेखा-जोखा रखा, उनके पास इस फंड में अंशदान करने वाली सोसायटीयों के ब्यौरे नहीं थे।

3.1.6 सहकारी सोसाइटी की अन्य वैधानिक बाध्यताएँ

पंजीकृत सोसाइटीयों को कुछ निश्चित वैधानिक बाध्यताओं की पूर्ति करना आवश्यक है, जैसाकि अधिनियम तथा नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट है। सोसाइटीयों द्वारा वैधानिक बाध्यताओं की पूर्ति की नीचे चर्चा की गई है:

3.1.6.1 वार्षिक सामान्य निकाय बैठक (सा.नि.बै.)

धारा 31(1) के अनुसार प्रत्येक सोसाइटी वर्ष के लिए अपने लेखे तैयार करने के 180 दिनों की अवधि के भीतर अपनी गतिविधियों के कार्यक्रम, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखों, इत्यादि के अनुमोदन हेतु अपने सदस्यों की एक सामान्य निकाय बैठक आयोजित करेगी। विभाग ने ऐसी सोसाइटीयों के किसी अभिलेख का रखरखाव नहीं किया था, जिन्होंने सा.नि.बै. का आयोजन नहीं किया, जैसा कि निर्दिष्ट है। विभाग इन बैठकों का आयोजन कराने हेतु धारा 31(2) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने में भी असफल रहा।

अपने जवाब में विभाग ने स्वीकार (जुलाई 2013) किया कि सभी सोसायटीयों की सांविधिक गतिविधियों के अनुवीक्षण की कोई कार्यप्रणाली नहीं थी तथा विभाग में जनशक्ति की बहुत कमी को इसका कारण बताया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा (दिसम्बर 2013) कि वार्षिक रिटनों की मैनुअल/कम्प्यूटर पर आधारित अनुवीक्षण किए जाने की कार्यप्रणाली वा.सा.बै. के लिए डाटा बेस बनाने की कार्यप्रणाली, तथा दोषपूर्ण सोसायटीयों को नोटिस जारी करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

3.1.6.2 सोसाइटीयों द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल किया जाना

सभी सोसाइटीयों विभाग को वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत करती थीं, जैसा कि अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अपेक्षित था को सुनिश्चित करने की कोई क्रियाप्रणाली नहीं थी। 2010-11 में क्रियाशील सोसाइटीयों में से मात्र 10.32 प्रतिशत और 2011-12 में 19.74 प्रतिशत ने वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत की। विभाग ने

विवरणियाँ प्रस्तुत करने हेतु चूककर्ता सोसाइटियों के साथ यह मुद्रा उठाने का कोई प्रयत्न नहीं किया।

विभाग ने अपने जवाब में बताया (दिसम्बर 2013) कि दोषपूर्ण सोसायटियों को मैनुअल/सिस्टम जेनरेटिड नोटिस जारी करने के द्वारा प्रभावी अनुबोधन प्रणाली को अपनाया जाएगा।

3.1.6.3 सोसाइटियों द्वारा चुनाव आयोजित किया जाना

अधिनियम की धारा 34 तथा 35 के अन्तर्गत सभी सहकारी सोसाइटियों को सा.नि.बै. आयोजित करने की विधि पर चुनाव आयोजित करना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ऐसी सोसाइटियों के अभिलेखों का रखरखाव नहीं कर रहा था जिनकों चुनाव आयोजित करवाने थे परन्तु आयोजित नहीं किए गए। नौ क्षेत्रों में से मात्र एक क्षेत्र उन सोसाइटियों की संख्या बता पाया जिसने 2010-11 से 2012-13 की अवधि में चुनाव आयोजित कराया था।

विभाग ने समर्थित की जा रही लेखापरीक्षा उपलब्धियों के जवाब में बताया (दिसम्बर 2013) कि अधिनियम की धारा 34 तथा 35 के अधीन आने की कार्रवाई किए जाने के लिए मैनुअल/सिस्टम जेनरेटिड नोटिस के द्वारा सुधारात्मक/उपचारी कार्यवाही किए जाने के लिए प्रभावी अनुबोधन प्रणाली को अपनाया जाएगा।

3.1.7 सहकारी सोसाइटियों का बकाया ऋण

रा.रा.क्षे.दि.स. सहकारी सोसाइटियों को सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के माध्यम से ऋण प्रदान करती है जिसे 5.25 से 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ 10 समान किश्तों में पुनर्भुगतान किया जा सकता है। चूक के मामले में सामान्य दर से 2.75 प्रतिशत अधिक की दर से दण्डात्मक ब्याज देय होता है।

सरकार ने 1962 से 2003 के दौरान 257 सोसाइटियों को ₹ 0.96 करोड़ ऋण के रूप में प्रदान किए। 31 मार्च 2013 तक ₹ 2.29 करोड़ (मूलधन- ₹ 0.64 करोड़ और ब्याज ₹ 1.65 करोड़) अभी वसूला जाना शेष था तथा विभाग ने ₹ 2.29 करोड़ के बकाया ऋणों की वसूली का कोई प्रयत्न नहीं किया।

विभाग ने अपने जवाब में बताया (अगस्त 2013) कि नोटिस/सम्मन जारी करने की प्रक्रिया स्टाफ की कमी के कारण विलम्बित हुई और वसूली विशेषतः दिसम्बर 2006 में उपनिदेशक (नियोजन) की सेवानिवृत्ति के बाद बाधित हो गई। आगे बताया गया (दिसम्बर 2013) कि लेखा परीक्षा प्राप्तियों के अनुसार ऐसी सभी चूककर्ता सोसायटियों की सूची को संकलित कर लिया गया है तथा उसे क्षेत्रीय सहायक रजिस्ट्रार्स/सहायक कलेक्टर्स को वसूली किए जाने के लिए भेज दिया गया है तथा उसकी प्रगति पर नियमित रूप से अनुबोधन किया जाएगा।

3.1.8 अंश पूँजी निवेश

सरकार ने मार्च 1958 से फरवरी 1994 के दौरान 15 वर्षों की अवधि के लिए 606 सहकारी सोसाइटियों में अंश पूँजी के रूप में ₹ 1.59 करोड़ का निवेश किया था। जिसमें से ₹ 1.59 करोड़ के निवेश के विरुद्ध विभाग मार्च 2013 तक ₹ 24.20 लाख की ही वसूली कर पाया था, शेष बिना वसूले रह गए ₹ 1.35 करोड़ परिणामरचरूप अवरोधित हुए।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2013) कि चूककर्ता सोसायटियों से ₹ 1.35 करोड़ में से ₹ 55 लाख की वसूली नहीं की जा सकी थी जिसकी सूची को वसूली किए जाने के लिए संकलित कर दिया गया है तथा शेष ₹ 80 लाख जिसे दिल्ली राज्य

सहकारी बैंक में निवेश किया गया था जहाँ से विभाग द्वारा ₹ 10 लाख का वार्षिक लाभांश प्राप्त किया जा रहा था। तथ्य बताते हैं कि 2013 तक विभाग ने ₹ 55 लाख की बकाया राशि की वसूली किए जाने के प्रयत्न नहीं किए थे।

3.1.9 निपटान एवं कार्यान्वयन व्यय शुल्क निधि (नि.का.व्य.शु.नि.)

नियम 164(3) एक नि.का.व्य.शु.नि. के सृजन का उपबन्ध करता है जिसका प्रबंधन तथा नियंत्रण एक समिति करेगी जिसका अध्यक्ष रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी होगा तथा आठ सदस्य (दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि., दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक विक्रय केन्द्र लि., उप विकास आयुक्त, प्रत्येक से एक सदस्य और रजिस्ट्रार कार्यालय से चार पदेन सदस्य) होंगे। रजिस्ट्रार को विवादों के अभिनिर्देश के कारण उद्ग्रहणीय शुल्क¹ को इस निधि में जमा करना चाहिए और विवादों के अभिनिर्देश से सम्बन्धित सभी व्यय इस निधि में से भुगतान करने चाहिए।

3.1.9.1 निधियों का खराब वित्तीय प्रबंधन

नियमों के अनुसार, नि.का.व्य.शु.नि. को समिति द्वारा प्रबंधित तथा नियंत्रित किया जाना था परंतु 2010-13 के दौरान इसकी कोई बैठक नहीं हुई। अधिशेष निधि के निवेश सहित सभी वित्तीय निर्णय रजिस्ट्रार के अनुमोदन से किए गए। लेखापरीक्षा में नि.का.व्य.शु.नि. का खराब वित्तीय प्रबंधन पाया गया क्योंकि वास्तविक आवश्यकता से अधिक पर्याप्त अधिशेष बचत/चालू बैंक खाते में निष्प्रयोज्य पड़े थे। सभी व्यय की पूर्ति करने के बाद औसत मासिक व्यय 2010-13 के दौरान औसत मासिक व्यय के 24 से 53 गुण के बीच था। 31 मार्च 2013 को नि.का.व्य.शु.नि. में ₹ 18.51 करोड़ का संचित अधिशेष था। विभाग ने बताया (जुलाई 2013) कि वह समिति की एक बैठक आयोजित करने जा रहा है और अब तक किया गया संपूर्ण व्यय समिति के समक्ष रखा जाएगा। हालाँकि उत्तर में समिति की बैठक और व्यय के अनुमोदन के लिए किसी निर्धारित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया।

3.1.9.2 नि.का.व्य.शु.नि. के लिए वार्षिक लेखे तैयार न किया जाना

विभाग ने अगस्त 2013 तक “नि.का.व्य.शु.नि.” के वार्षिक लेखे अर्थात् प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा तथा तुलनपत्र तैयार नहीं किए थे। अभिलेखों की जाँच में पता चला कि रोकड़ बही के अंत शोषों का बैंक विवरणों से समाधान करने हेतु विभाग द्वारा बैंक समाधान विवरण भी तैयार नहीं किए जा रहे थे। वार्षिक लेखों एवं बैंक समाधान विवरण न होने से लेखापरीक्षा द्वारा निधि में अधिशेष की परिशुद्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

¹ निर्णीत ऋणियों से वसूली अधिकारी द्वारा वसूली गई सभी धनराशियों पर 5 प्रतिशत

3.1.9.3 रोकड़ बही और बैंक विवरण में अधिशेषों के बीच अन्तर

2010-11 से 2012-13 की अवधि हेतु नि.का.व्य.शु.नि. के रोकड़ बहियों और बैंक विवरणों के परीक्षण में रोकड़ बही और बैंक विवरणों² में दर्शाए गए अधिशेषों के बीच ₹ 1.11 रोड़ का अन्तर पाया गया यहाँ समाधान की आवश्यकता है।

विभाग ने जवाब दिया (दिसम्बर 2013) कि पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय की सूची प्रक्रियाधीन थी। लेखों की लेखा परीक्षा के लिए एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर ली गई है जो नि.का.व्य.शु.नि. में शेषों की परिशुद्धता को सुनिश्चित किए जाने के लिए लेखों के समाधान कार्य को भी करेगा।

3.1.10 जन शिकायत निवारण प्रणाली—मध्यस्थता कार्यवाहियों के निपटान में देरी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक बड़ी संख्या में विवाद वार्षिक रूप से पंजीकृत कराए जाते और निपटान हेतु मध्यस्थों को अभिनिर्देशित किए जाते हैं। 2012-13 के दौरान निपटान के लिए पंजीकृत किए गए 3894 मामलों में से 2302 मध्यस्थों को अभिनिर्देशित किया गया और 1592 मामले सहायक रजिस्ट्रारों के पास मध्यस्थों को अभिनिर्देशित करने हेतु निर्णय के लिए लम्बित थे।

धारा 70 एवं 71 के साथ पठित नियम 84 और 85 के अनुसार रजिस्ट्रार विवाद मध्यस्थ को अभिनिर्देशित करने के बारे में 90 दिनों के भीतर निर्णय करेगा और मध्यस्थ अपना अधिनिर्णय 90 दिनों की अवधि के भीतर दर्ज करेगा और इसे पक्षों को सूचित करेगा। मध्यस्थ पंजिका में सांख्यिकीय आँकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि विवादों का निपटान 180 दिनों के भीतर नहीं किया गया जैसाकि अनुबंधित था। अप्रैल 2012 से सितम्बर 2012 के दौरान थ्रिप्ट एवं क्रेडिट तथा बैंकिंग सोसाइटियों के दायर किए गए विवादी मामलों तथा निपटारे के लिए मध्यस्थ को भेजे गए विवादों से सम्बंधित आँकड़ों को आगे दर्शाया गया है:

अप्रैल से सितम्बर 2012 के दौरान पंजीकृत किए गए मामले	वापिस लिए गए/निरस्त किए गए मामलों की संख्या	मध्यस्थता कार्यवाई के लिए धारा 71 के अधीन फैसले हेतु भेजे गए मामलों की संख्या	धारा 70 तथा 71 के अधीन 180 दिनों की अनुबंधित अवधि से अधिक विलम्ब से रखे मामलों की संख्या
1560	350	1210	460

यह देखा गया कि यहाँ 180 दिनों की अनुबंधित अवधि से अधिक 460 मामलों (38 प्रतिशत) में विलम्ब हुआ। विलम्ब की श्रेणी 242 दिनों तक थी। डाटा के विश्लेषण ने आगे दर्शाया कि इन 460 मामलों में 71 मामलों में विलम्ब 90 से 200 दिनों के मध्य था, नौ मामलों में विलम्ब 200 दिनों से अधिक था तथा शेष रह गए 380 मामलों में विलम्ब 180 दिनों की अनुबंधित अवधि से अधिक 90 दिनों तक था।

विभाग ने जवाब दिया (दिसम्बर 2013) कि वर्तमान में मध्यस्थों के पैनल में मुख्य रूप से सरकारी/स्थानीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल थे जोकि मध्यस्थता के मामलों तथा लेखापरीक्षा उपलब्धियों से पूरी तरह अनभिज्ञ तथा

2

चालू खाता				बचत खाता		
इस दिनांक को शेष	रोकड़ बही के अनुसार राशि	इस दिनांक को शेष	रोकड़ बही के अनुसार राशि	इस दिनांक को शेष	रोकड़ बही के अनुसार राशि	इस दिनांक को शेष
31-3-2011	22084011	15320650	(-)6763361	3361470	4770200	1408730
31-3-2012	29082200	15410915	(-)13671285	6809286	4836877	(-)1972409
31-3-2013	23992130	13147752	(-)10844378	3882939	3604912	(-)278027

परिचित नहीं थे, विभाग द्वारा भविष्य में शीघ्र ही सूची में दिए गए मध्यस्थों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.2 दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन

दिसंबर 2013 तक 37 में से आठ सरकारी अस्पतालों में अग्नि शमन अनुभाग द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र नहीं थे। अग्निशमन उपकरणों का अक्रियाशील रहना एवं तहखानों का अनुचित उपयोग देखा गया। चुने हुए अस्पतालों में न तो अग्नि सुरक्षा के ऊपर कर्मचारियों का प्रशिक्षण और ना ही दिल्ली अग्निशमन सेवा की मदद से नमूना ड्रिल कराये गये।

लेखापरीक्षा 2010-13 की अवधि के लिए संचालित की गई ताकि यह तथ्य किया जा सके कि क्या सरकारी अस्पतालों ने आग लगने की स्थिति से जूझने एवं रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये हैं। लेखापरीक्षा ने 37 सरकारी अस्पतालों में से उन 10 अस्पतालों³ का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा के लिये किया जिन्हें दिल्ली अग्निशमन सेवा (दि.आ.श.से) ने एन.ओ.सी. जारी नहीं किए। लेखापरीक्षा के निम्नलिखित निष्कर्ष हैं:

3.2.1 रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अस्पताल भवनों में अग्नि सुरक्षा की संवीक्षा

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग (स्वा.एवं प.क.वि.) ने सभी सरकारी अस्पतालों के उनके अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने के लिए कदम उठाने के निर्देश जारी किए (16 दिसंबर 2011) एवं दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम के अनुसार भवन के मालिक अथवा उपयोगकर्ता की जिम्मेदारियों जैसे अग्नि सुरक्षा प्रबंधों, अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति इत्यादि से संबंधित प्रावधानों के लिए धारा 29 (जी), 31 एवं 34 की अनुपालना नोट करने को कहा। विभाग ने अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों एवं लो.नि.वि. के कार्मिकों की अनापति प्रमाण पत्र की स्थिति की संवीक्षा की। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने दिसंबर 2011 में सभी 37 अस्पतालों में निरीक्षण किया एवं आवश्यक मानकों की पूर्ति के आधार पर 21 अस्पतालों को अनापति प्रमाणपत्र जारी किए। जबकि छः अस्पतालों को दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनापति प्रमाणपत्र की आवश्यकता से छूट दी गई, 10 अस्पतालों को अनापति प्रमाणपत्र जारी नहीं किये गए क्योंकि वे तथ्य सुरक्षा मानकों का पालन करने में असफल रहे।

3.2.2 चयनित अस्पतालों में एन.ओ.सी. की वर्तमान स्थिति

दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भवन अथवा परिसर के मालिक या प्रयोगकर्ता को अनापति प्रमाणपत्र उस शर्त के साथ जारी करेगा जो कि अनापति प्रमाणपत्र में अनुपालना हेतु निर्दिष्ट किए गए हैं। अस्पताल भवनों के लिए धारा 36 के अनुसार अनापति प्रमाणपत्र की वैधता तीन वर्ष है। दिल्ली अग्निशमन सेवा अस्पतालों का निरीक्षण विभिन्न समयान्तरालों पर कर रहा था एवं अग्नि सुरक्षा मानकों के संबंध में नोटिस, निर्देश तथा चेतावनी जारी कर रहा था। पुराने तथा विद्यमान अस्पतालों में कमियाँ मुख्यतः आग से जूझने वाली प्रणाली, जैसे अग्नि

³ लेकनायक अस्पताल, गुरु तेगबहादुर अस्पताल, गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल, बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल, मौलाना आजाद दर्त विज्ञान संस्थान, मातृत्व अस्पताल, आचार्य शिशु अस्पताल, डा.बी.आर. सुर होम्योपेथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नेहरू होम्योपेथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गुरुनानक नेत्र केंद्र

पंप, डिटेक्शन प्रणाली, स्प्रिंकलर प्रणाली, अग्निशमनकों, निकास चिह्नों इत्यादि तथा आवश्यक मार्गों, रैम्पों एवं अग्नि रोकथाम दरवाजे आदि के काम न करने के कारण थी। कुछ विशिष्ट विवरण इस प्रकार है:

दिसंबर 2012 में दिल्ली अग्निशमन सेवा ने मातृत्व अस्पताल में पाया कि सीढ़ियों की चौड़ाई आवश्यक 2 मी. की जगह 1.4 मी. थी। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने (जून 2013) में प्रथम तथा द्वितीय तल में रिफ्यूज क्षेत्र के निर्माण की शर्त में छूट दे दी। जबकि डा.बी.आर.सुर होम्योपैथी कॉलेज एवं अस्पताल तथा नेहरू होमियोपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल के मामले में मुख्य पूँजीगत प्रकृति के कार्य कराए जाने आवश्यक थे। मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान के मामले में सीएचआरआई, रुड़की या किसी प्राधिकृत लैब द्वारा अग्नि निरोधक दरवाजे तथा स्टील दरवाजे के लिए प्रमाणपत्र एन.ओ.सी. के लिए आवश्यक था। इन कमियों को दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा संबंधित चिकित्सा अधीक्षकों एवं लो.नि. विभागों को सूचित किया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के निरीक्षण के बावजूद आठ चयनित अस्पताल अनापत्ति प्रमाणपत्र (जनवरी 2014) प्राप्त कर नहीं सकें। लेखापरीक्षा के दौरान, दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल को 29 जुलाई 2013 को तथा मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान को 27 नवंबर 2013 को मानकों के पूरे किए जाने पर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया। शेष आठ अस्पतालों द्वारा अभी भी जनवरी 2014 तक शर्त पूरा करना शेष था।

3.2.3 अस्पतालों के भौतिक निरीक्षण में पाई गई कमियों

बिल्डिंग बाईलॉज एवं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया (2005) तथा डी.एफ.एस. अधिनियम की धारा 25 से 27 एवं 32 से 35 के प्रावधानों के अंतर्गत दि.अ.से. से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए 20 न्यूनतम शर्त है जिनका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। 10 चयनित अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा प्रबंधों की स्थिति का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने इन 20 न्यूनतम अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं को विस्तृत रूप से तीन वर्गों में बाँटा— (i) आधारभूत एवं पूँजीगत कार्य (ii) प्रचालन एवं रखरखाव मामले तथा (iii) सामान्य जागरूकता। वास्तविक दौरां के दौरान पायी गयी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वा.एवं प.क. विभाग को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु प्रेषित कर दिया गया था। विभाग ने अस्पतालों के जवाबों को संलिप्त किया। जवाबों के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी बहुत सी कमियों/आपत्तियों को संबंधित अस्पतालों द्वारा दूर कर लिया गया था। लेखापरीक्षा ने वास्तविक स्थिति के सत्यापन हेतु अस्पताल का पुनः दौरा किया तथा वे कमियां जिनमें अभी भी सुधार किया जाना है कि आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गयी है।

3.2.4 आधारभूत तथा पूँजीगत कार्य

अग्नि सुरक्षा से संबंधित आधारभूत संरचनाएँ और पूँजीगत कार्यों को तीन समूहों जल प्रबंधन, आंतरिक संरचना और अतिरिक्त कार्यों में बाँटा गया है। अस्पतालों के प्रत्येक निरीक्षण के दौरान इन समूहों के अन्तर्गत पायी गयी कमियों और दोषों को अनुवर्ती सब पैराग्राफ में वर्णित किया गया है:

3.2.4.1 जल प्रबंधन: इस समूह के अन्तर्गत जल नलिका, वेट राइजर, डाउन कमर, होजरील, स्प्रिंकलर, भूमिगत जल टैंक और ओवरहेड वाटर टैंक आदि आवश्यकताएँ होती हैं जिनका निम्न मामलों में ध्यान नहीं दिया गया है।

- भूमिगत जल टैंक खाली पाये गए (डॉ. बी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल) इनकी नियमित रूप से सफाई नहीं की थी (गुरु नानक नेत्र केन्द्र और जी.बी. पंत अस्पताल) तथा इनका इस्तेमाल पीने के उद्देश्य से किया जा रहा था। (जी.टी.बी. अस्पताल और गुरु नानक नेत्र केन्द्र)।
- गुरु नानक नेत्र केन्द्र में जल नालिका और वेट राइजर भूमिगत जल टैंक से जुड़े हुए नहीं थे।
- जी.टी.बी. हॉस्पिटल में होजरील को पानी के हाईफ्रेण्ट के साथ नहीं रखा गया था एवं हाईफ्रेण्ट के नल के नोजल ढुटे हुए थे या अधिकांश जगहों से गायब पाये गए।
- गुरु नानक नेत्र केन्द्र और जी.टी.बी हॉस्पिटल में यही टैंक सामान्य कार्य हेतु प्रयोग में लाये जा रहे थे।
- मातृत्व अस्पताल के पंप रुम के डी जी सेट कार्य नहीं कर रहे थे।

अपने उत्तर में, स्व.एवं प.क. विभाग ने अस्पताल के उत्तरों को लेखापरीक्षा को पृष्ठांकित कर दिया (18 दिसंबर 2013)। जीटीबी अस्पताल ने कहा कि सभी कार्य प्रगति पर हैं। डा. बी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, मातृत्व अस्पताल तथा गुरु नानक नेत्र चिकित्सालय ने सूचित किया कि मामले को लो.नि.वि. के साथ उठाया गया है।

3.2.4.2 आंतरिक संरचना: इसके अन्तर्गत सीढ़ियाँ (आंतरिक एवं बाह्य), रैम्प, शुद्ध वायु निकास तंत्र, रिफ्यूज क्षेत्र, निचला तल प्रबंधन और अग्नि जाँच दरवाजे आते हैं।

- मातृत्व हॉस्पिटल में निकास और प्रवेश द्वार, आंतरिक और बाह्य सीढ़ियाँ जरूरत से छोटे आकार के थे एवं प्रथम एवं दूसरे तल पर लोगों के निकास हेतु रिफ्यूज क्षेत्र उपलब्ध नहीं थे।
- मातृत्व हॉस्पिटल में अग्नि सुरक्षा दरवाजे नहीं थे।
- लोक नायक हॉस्पिटल एवं जी.बी. पंत हॉस्पिटल में भूमिगत तल का प्रयोग दवाओं के स्टोर रुम, रसायनों, सामान्य मदें और फर्निचरों के रखने हेतु किया जा रहा था। बाबा साहेब अच्चेडकर हॉस्पिटल में इसका प्रयोग ऑक्सीजन सिलेन्डर के स्टोर, ओ.पी.डी एवं फार्मसी उद्देश्यों हेतु किया जा रहा था।
- जी.टी.बी. हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर ब्लॉक का रैम्प वे बंद था और आंतरिक सीढ़ियों को यू.पी.एस. के द्वारा बाधित किया गया था।

मातृत्व हॉस्पिटल ने कहा कि उप-राज्यपाल ने सीढ़ियों की चौड़ाई कम करने में छूट प्रदान कर दी है तथा अन्य मामलों को लो.नि.वि. को संदर्भित किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह छूट प्रथम एवं द्वितीय तल पर आश्रय क्षेत्र के प्रावधानों के आधार पर प्रदान की जाती है जो कि इसका पालन नहीं करता है। बाबा साहेब अच्चेडकर हॉस्पिटल ने स्वीकार किया कि भू-तल का प्रयोग ओ.पी.डी. एवं फार्मसी चलाने के लिये किया जा रहा था साथ ही कहा कि आक्सीजन सिलेन्डर तथा अन्य सिलेन्डरों को भूखण्ड से हटाने की प्रक्रिया चल रही है।

3.2.4.3. अतिरिक्त कार्य: अतिरिक्त कार्य के अन्तर्गत सतर्कता तंत्र, जन जागरूकता तंत्र, धुआं जाँच यंत्र और निवास एवं प्रवेश द्वार तक पहुँच आदि आते हैं।

- जन सूचना तंत्र एवं धुआँ जाँच यंत्र जी.टी.बी, हॉस्पिटल के द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गए थे।
- डॉ.बी.आर. सुर होमियोपैथिक मैडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जन सूचना तंत्र पर कार्य प्रगति पर था।
- नेहरु होमियोपैथिक कॉलेज और हॉस्पिटल में सतर्कता तंत्र और धुआँ जाँच यंत्र कार्य नहीं कर रहे थे।
- लोक नायक हॉस्पिटल में एकल पथ वे द्वारा सभी तलों को जोड़ने के कार्य के साथ-साथ अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर था।

अपने उत्तर में हॉस्पिटल ने कहा कि जन सूचना तंत्र प्रणाली तथा धुआँ जाँच यंत्र उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर था (जीटीबी हॉस्पिटल), मामले को कार्यवाही हेतु लो.नि.वि. को संदर्भित कर दिया गया (डा.बी.आर. सुर होमियोपैथिक मैडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल)। नेहरु होमियोपैथिक कालेज एवं हॉस्पिटल ने कहा कि मामला लो.नि.वि./दिल्ली अग्निशमन सेवा से संबंधित है जब उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी इसे सूचित कर दिया जायेगा। यह हॉस्पिटल में अग्नि सुरक्षा प्रावधानों पर लापरवाहीपूर्ण रखेये को दर्शाता है।

3.2.5 संचालन और रख-रखाव

बिल्डिंग/भवन के सुरक्षित रख-रखाव के लिए पोर्टेबल फायर एक्सटींग्यूसर, सिग्नेज, पार्टीसन फायरमैन स्वीच, वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति लटके हुए विद्युत तारों के वाहिकायें, सर्किट ब्रेकर, आपातकालीन प्रकाश आदि आते हैं। प्रत्यक्ष निरीक्षण में निम्न कमियाँ पायी गईं।

- जी.टी.बी. हॉस्पिटल, नेहरु होमियोपैथिक कॉलेज और हॉस्पिटल में लगभग 10% ए.बी.सी.⁴ फायर एक्सटींग्यूसर या तो खाली थे या दोषप्रद थे।
- सभी 10 चयनित अस्पतालों में आग बुझाने की सामग्री से संबद्ध (जल और गैस दोनों प्रकार की) आवधिक जांच की कोई लिपिबद्ध पुस्तिका नहीं थी।
- जी.टी.बी हॉस्पिटल, डॉ.बी.आर. सुर हॉस्पिटल और नेहरु होमियोपैथिक कॉलेज और हॉस्पिटल में पथ संकेतक उपलब्ध नहीं थे।
- नेहरु होमियोपैथिक कॉलेज और हॉस्पिटल में (आग की स्थिति में लिफ्ट को जमीन पर लाने के लिए आवश्यक) फायरमैन स्वीच उपलब्ध नहीं थे।
- गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में विद्युत वाहिकायें समुचित रूप में नहीं थे।

अपने उत्तर में, जी.टी.बी. हॉस्पिटल ने कहा कि खाली फायर एक्सटींग्यूसर को पुनः भरने के लिये भेज दिया गया है तथा संकेतक तथा विद्युत वाहिकायें उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है। नेहरु होमियोपैथिक कालेज एवं हॉस्पिटल तथा डॉ.बी.आर. सुर हॉस्पिटल ने कहा कि ये मामले आवश्यक कार्यवाही हेतु लो.नि.वि. को प्रेषित कर दिये गये हैं।

⁴ (i) वर्ग ए फायर एक्सटींग्यूसर — यह लकड़ी, कागज, कपड़े, प्लास्टिक इत्यादि से लगने वाली अग्नि के लिये प्रयुक्त होते हैं।
(ii) वर्ग बी फायर एक्सटींग्यूसर — यह ज्वलनशील लिकिंड फायर जैसे कुकिंग लिकिंड, गैसोलीन, किरोसीन, पेंट इत्यादि के प्रति प्रभावी है।
(iii) वर्ग सी फायर एक्सटींग्यूसर — यह जीवित विद्युत उपकरणों में अग्नि से बचाव के लिये उपयुक्त है।

3.2.6 सामान्य जागरूकता

कर्मचारियों और आम जनता को आग से सुरक्षा की जरूरतों को समझाना सामान्य जागरूकता की आधारभूत संरचना होती है। इसे ट्रेनिंग, पोस्टरों, पुस्तिकाओं और छदम अग्नि ड्रिल के जरिए बताया जा सकता है। फिर भी किसी भी चयनित हॉस्पिटलों में कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। दिल्ली अग्निशमन सेवा की मदद से किए जाने वाले छदम अग्नि ड्रिल भी नहीं कराये गए थे।

3.2.7 अन्य अभियुक्तियां

दिल्ली अग्नि सेवा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता से छूट पाये हुये छः अस्पतालों में से पाँच अस्पतालों (बै.जे.आर.एम. अस्पताल, अतर सेन नेत्र चिकित्सालय, डॉ. एन.सी. जोशी अस्पताल, ए. एवं यू. तीविया कालेज एवं अस्पताल तथा पुअर हाउस अस्पताल) का ही लेखापरीक्षा ने प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण किया और पाया कि:

- अतर सेन नेत्र चिकित्सालय में वॉटर हाइड्रेंस लगाये जाने के छः महीने बाद भी यह चालू नहीं किये गए।
- बाबू जगजीवन राम अस्पताल में बैटरी उपलब्ध न कराये जाने के कारण जन जागरूकता प्रणाली चालू नहीं थी।
- ए. एवं यू. तीविया कॉलेज एवं अस्पताल में कोई अग्नि अलार्म प्रणाली नहीं थी। महिला एवं पुरुष वार्डों में फायर एक्सर्टिंगिजर नहीं थे।
- डॉ. एन. सी. जोशी मैमोरियल हॉस्पिटल में अग्नि अलार्म प्रणाली नहीं थी तथा 13 फायर एक्सर्टिंगिजर खाली थे।
- पुअर हाउस अस्पताल में कोई फायर एक्सटींग्यूसर या डिवाइस/उपकरण अग्नि सुरक्षा प्रबंधन हेतु नहीं थे।

3.3 दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 7.28 करोड़ का अधिक भुगतान

जल भण्डारण तंत्र (जं.भ.तं.)/जल संशोधन संयंत्र (ज.सं.सं.) स्थापित करने पर ₹ 2.61 करोड़ के व्यय के बावजूद दिल्ली सरकार के चिकित्सालय अपने पानी के बिलों पर 15 प्रतिशत की छूट प्राप्त करने में असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 7.28 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) ने दिसम्बर 2009 में सरकारी संस्थाओं/कार्यालयों को, जल भण्डारण तथा/या अपशिष्ट जल पुनःचक्रण को अपनाने पर जनवरी 2010 से पानी के बिलों पर 15 प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने मार्च 2010 में चिकित्सालयों के सभी चिकित्सा अधीक्षकों को जल भण्डारण तंत्र (जं.भ.तं.), जल पुनःचक्रण संयंत्र (ज.सं.सं.) का प्रतिष्ठान करके 15 प्रतिशत छूट का लाभ उठाने हेतु दि.ज.बो. के आदेशों को पृष्ठांकित किया।

सात चिकित्सालयों⁵ (2010-13) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जॉच में पता चला कि जल भण्डारण तंत्र/जल संशोधन संयंत्र स्थापित करने पर ₹ 2.61 करोड़ के व्यय के बावजूद ये चिकित्सालय अप्रैल 2010 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान अपने

⁵ (i) चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, (ii) डॉ हेडगेवर आरोग्य संस्थान, (iii) गुरु गोबिन्द सिंह राजकीय चिकित्सालय, (iv) गुरु लंग ब्रह्मदुर्ग चिकित्सालय, (v) लोक नायक चिकित्सालय, (vi) महर्षि बाल्मीकी चिकित्सालय, एवं (vii) सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय, जनकपुरी

पानी के बिलों पर 15 प्रतिशत अर्थात ₹ 7.28 करोड़ की छूट प्राप्त करने में असफल रहे। विस्तृत विवरण अनुलग्नक 3.3.1 में दिया गया है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के (जून/जुलाई 2013) में सात चिकित्सालयों ने कहा (सितंबर/अक्टूबर 2013) कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से पानी के बिलों पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।

अतः जं.भ.तं./ज.सं.सं. स्थापित करने पर ₹ 2.61 करोड़ के व्यय के बावजूद दिल्ली सरकार के चिकित्सालयों ने पानी के बिलों पर 15 प्रतिशत की छूट नहीं प्राप्त की जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 7.28 रोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

मामला सरकार को अगस्त 2013 में भेजा गया परंतु उत्तर (फरवरी 2014) तक प्रतीक्षित था।

3.4 लोक नायक अस्पताल

आर्थोपेडिक ब्लॉक के निर्माण तथा सम्बन्धित उपकरणों की खरीद पर ₹ 20.66 करोड़ की निधियों का अवरोधन

लोक नायक अस्तपताल ने मार्च 1997 में आर्थोपेडिक रोगियों के इलाज हेतु एक पृथक आर्थोपेडिक ब्लॉक (भवन) के निर्माण का निर्णय लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने नवम्बर 1997 में अस्पताल में आर्थोपेडिक ब्लॉक के निर्माण हेतु ₹ 18.60 रोड़ की व्यय की स्वीकृति प्रदान की।

निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) को नवम्बर 1997 में सौंपा गया। तत्पश्चात्, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने अप्रैल 1998 में इस परियोजना को एक उच्च प्राथमिकता का स्थान प्रदान किया और इस भवन को हाई-टेक परियोजनाओं में सम्मिलित किया। अतः कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन एवं अतिरिक्त कार्य के कारण प्रशासकीय अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति की धनराशि बढ़ाकर नवम्बर 1999 में ₹ 34.50 करोड़ और फरवरी 2008 में आगे बढ़ाकार ₹ 45.88 करोड़ कर दी गई।

भवन के पूर्ण होने की लक्षित तिथि मार्च 2009 थी परन्तु इसे अस्पताल द्वारा दो वर्षों के विलम्ब के बाद जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया इस भवन की कुल लागत ₹ 34.41⁶ करोड़ थी।

आर्थोपेडिक ब्लॉक में भू-तल के अतिरिक्त सात तल हैं और प्रत्येक तल पर तीन विंग ए, बी और सी हैं। 24 ब्लॉकों में से 13 ब्लॉक (54.16 प्रतिशत) नवंबर 2013 तक खाली पड़े हुये थे।

यह भी पाया गया कि अस्पताल ने मार्च 2009 में ₹ 1.72 करोड़ की आर्थोपेडिक ऑपरेशन टेबलें खरीदी और ये टेबलें अभी तक नवम्बर 2013 अर्थात खरीद के चार वर्षों के बाद भी भण्डारण गृह में अप्रयुक्त पड़ी थीं। अस्पताल में एक्स-रे कमरों में शीशों की परत लगाने हेतु भी ₹ 30.00 लाख का व्यय (दिसम्बर 2009) भी किया गया परन्तु नवम्बर 2013 तक इनका प्रयोग नहीं हो रहा था।

अस्पताल ने रोगियों हेतु आर्थोपेडिक ब्लॉक में सात, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स (ओ.टी.) प्रतिष्ठापित करने का निर्णय लिया (मई 2011)। इन मॉड्यूलर ओ.टी. की अनुमानित लागत, ₹ 4.61 करोड़ थी, जोकि तदन्तर में बढ़कर ₹ 8.11 करोड़ हो

⁶ सिविल कार्य ₹ 25 करोड़ तथा इलैक्ट्रिक कार्य ₹ 9.41 करोड़

गई। यह पाया गया है कि मॉड्यूलर ओ.टी. नवम्बर 2013 तक प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे।

मुख्य सचिव रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने फरवरी 2012 में आर्थोपेडिक ब्लॉक के दूसरे तल पर स्पोर्ट्स इंजरी एवं रीहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना हेतु अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया परन्तु यह सेंटर अभी तक (मार्च 2014) स्थापित नहीं किया गया है।

इस प्रकार, भवन का बड़ा भाग अप्रयुक्त ही पड़ा रहा जिसके परिणामस्वरूप भवन के निर्माण, आपरेशन टेबलों की खरीद तथा एक्स-रे कक्षों में शीशों की परत लगाने में व्यय की गयी ₹ 20.66⁷ करोड़ की निधियों का अवरोध हुआ।

लो.ना. अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने कहा (नवम्बर 2013) कि सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) के साथ हुई बैठक में निश्चित किया गया है कि पूरा आर्थोपेडिक ब्लॉक एक आर्थोपेडिक-सह-ट्रोमा सुविधा के रूप में चलाया जायेगा जिसमें आपरेशन थियेटर, आई.सी.यू. और रेडियोलोजिकल सुविधायें सम्मिलित होगी। सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर से संबंधित प्रस्ताव को अस्थायी रूप से रोका गया है क्योंकि ट्रामा प्राथमिकता पर है। इस कार्य के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति को सम्मिलित करते हुये एक संशोधित प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भेजा जा रहा है।

निर्णय में लगातार परिवर्तन होने के कारण आर्थोपेडिक ब्लॉक, इसके निर्माण के दो वर्ष बीत जाने तथा ₹ 20.66 करोड़ के व्यय के बाद भी नवंबर 2013 तक आंशिक रूप से ही क्रियाशील था।

मामला सितम्बर 2013 को विभाग को प्रेषित किया गया परंतु उत्तर (जनवरी 2014) तक प्रतिक्षित था।

3.5 निधियों का अवरोधन एवं व्यर्थ व्यय

पश्चिमी तथा पूर्वी दिल्ली में दो सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के निर्माण व प्रचालन पर ₹ 191.80 करोड़ की निधियों का अवरोधन तथा ₹ 80.20 लाख का अपव्यय जिन्हें रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं कर सकी।

रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने दो सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल, पूर्वी दिल्ली, ताहिरपुर में - 650 बैड वाले राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (आरजीएसएस एच) एवं जनकपुरी पश्चिमी दिल्ली में 300 बैड वाले जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (जेएसएसएच) को क्रमशः ₹ 86.66 करोड़ तथा ₹ 70.26 करोड़ की लागत पर निर्माण कराने का निर्णय लिया।

दि.वि.प्रा. ने आरजीएसएसएच के निर्माण हेतु रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 6.00 करोड़ की लागत पर 5.39 हेक्टेयर भूमि आबंटित की (जनवरी 1999)। ₹ 86.66 करोड़ की प्रशासकीय मंजूरी और व्यय की संस्वीकृति दिसम्बर 2000 में जारी की गई। कार्य प्रारंभ तथा पूर्ण होने की निर्धारित तिथियाँ क्रमशः जनवरी 2001 और जनवरी 2004 थीं, तथापि निर्माण कार्य जुलाई 2013 तक पूर्ण नहीं हो पाया।

⁷ कुल 24 ब्लॉकों में 13 खाली ब्लॉकों की अनुपतिक निर्माण लागत ₹ 18.64 करोड़ + आर्थोपेडिक टेबल की लागत ₹ 1.72 करोड़ + एक्स-रे कक्षों में शीशे लगवाने की लागत ₹ 0.30 करोड़ = ₹ 20.66 करोड़

एक अन्य मामले में दि.वि.प्रा. ने रा.रा.क्षे.दि.स. पश्चिमी दिल्ली में ₹ 1.18 रोड़ की लागत पर एक 100 बैड वाले कैंसर अस्पताल के निर्माण हेतु 8.82 एकड़ भूमि आबंटित की (जनवरी 1993)। यद्यपि रा.रा.क्षे.दि.स. ने कैंसर अस्पताल के बजाय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (अर्थात् जेएसएसएच) के निर्माण का निर्णय लिया (नवम्बर 1996)। तथापि अस्पताल का निर्माण कार्य जून 2003 (भूमि के क्रय से 10 वर्ष बाद) में प्रारंभ किया गया और वास्तविकता में मार्च 2007 में ₹ 71.95 करोड़ की लागत पर पूर्ण किया गया।

ठन दोनों अस्पतालों हेतु पीपीपी मॉडल के संकल्पना हेतु अप्रैल 2008 में एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया और परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु ₹ 80.60 लाख का व्यय किया गया। परामर्शदाता ने व्यवहार्यता रिपोर्ट अगस्त 2008 में सौंपी उसने आबंटन पत्र के उपबन्ध 1(vi) को इंगित किया जिसमें उल्लेख किया गया था कि दि.वि.प्रा. ने इन अस्पताल को भूमि इस शर्त पर प्रदान की थी कि रा.रा.क्षे.दि.स. को दि.वि.प्रा. की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना स्थल या किसी भवन को संपूर्णतः या उसका कोई भाग बेचने, हस्तांतरित करने, सौंपने या किसी अन्य तरीके से उसका अधिकार त्यागने की अनुमति नहीं है परंतु सरकार ने परामर्शदाता की अभ्युक्तियों पर ध्यान नहीं दिया और इन अस्पताल को पीपीपी मॉडल पर चलाने के प्रस्ताव पर कार्य आरंभ कर दिया।

जुलाई 2009 में, रा.रा.क्षे.दि.स. ने निर्णय लिया कि आरजीएसएसएच का शेष कार्य, जिसमें अस्पताल की सेवाएं सम्मिलित हैं, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। अतः आरजीएसएसएच का निर्माण कार्य रोक दिया गया और लो.नि.वि. को निर्माण कार्य “जहाँ है जैसा है” के आधार पर समय पूर्व समाप्त करने को कहा गया (सितम्बर 2009)। कार्य की समय पूर्व समाप्ति के समय, ₹ 153.68 करोड़ की संशोधित लागत (अप्रैल 2013) के प्रति ₹ 110.67 रोड़ की लागत से 98 प्रतिशत सिविल और 75 प्रतिशत विद्युत कार्य पूर्ण कर लिया गया था।

इसी बीच आरजीएसएसएच ने सितम्बर 2003 में भूमि तल पर निर्मित क्षेत्र के एक भाग में ओपीडी सेवाएँ आरंभ कीं परंतु इन्हें चिकित्सकीय व परचिकित्सकीय स्टॉफ के अभाव में रोक देना पड़ा। ओपीडी सेवाएँ सितम्बर 2008 में पुनः आरंभ की गई। जबकि अस्पताल ने वर्ष 2004-07 के दौरान ₹ 2.00 करोड़ के उच्च गुणवत्ता वाले सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय उपकरण खरीदे। चूंकि केवल ओपीडी सेवायें संचालित थीं, ₹ 1.34 करोड़ के चिकित्सा उपकरण गुरु तैग बहादुर अस्पताल को अस्पताल की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना स्थानांतरित कर दिए गए (अप्रैल 2005 से मई 2010)।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने पीपीपी मॉडल पर अस्पताल के संचालन तथा प्रबंधन हेतु निजी भागीदार (रियायत पाने वाला) को दोनों स्थल सौंपने हेतु माननीय उप-राज्यपाल (उ.रा.) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2010)। उ.रा. और भूमि उपयोग के परिवर्तन हेतु दि.वि.प्रा. के समक्ष इस मामले को (नवम्बर 2010) उठाया जिसे दि.वि.प्रा. ने स्पष्टतः ठुकरा दिया।

पुनः रा.रा.क्षे.दि.स. ने लो.नि.वि. को आरजीएसएसएच के बचे हुए निर्माण कार्य को पूर्ण करने को कहा (अप्रैल 2013) और एक संशोधित प्रशासकीय अनुमोदन तथा ₹ 153.68 रोड़ की व्यय संस्वीकृति का अनुमोदन अप्रैल 2013 में कैबिनेट द्वारा दिया गया परंतु शेष भाग का निर्माण कार्य मार्च 2014 में निर्माणाधीन था।

अतः एक स्पष्ट दृष्टि, वार्तविक आवश्यकताओं का विश्लेषण और एक सुरक्षित नीति व योजना के अभाव में ₹ 191.80⁸ करोड़ के निवेश एवं एक परामर्शदाता की सेवाओं पर ₹ 80.20 लाख के अपव्यय के बावजूद रा.रा.क्षे.दि.स. इन अस्पतालों को कार्यशील नहीं कर पाई।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने प्रारंभ में अस्पताल को पीपीपी मॉडल पर स्थापित करने की योजना बनायी थी परंतु दिनांक 12 जून 2012 के कैबिनेट के निर्णय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अस्पताल को एक सोसाइटी के द्वारा चलाया जाना चाहिये। अतः इस अस्पताल को चलाने व इसके प्रबंधन के लिये सितंबर 2013 में आर जी एस एस एच सोसाइटी बनायी गयी। जेएसएसएच में सोसाइटी के निर्माण के संबंध में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों ही अस्पताल सिर्फ सीमित ओपीडी सेवायें उपलब्ध करा रहे हैं तथा नीतियों में लगातार परिवर्तन होने के कारण यह अभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

3.6 लोक नायक अस्पताल में अस्थायी विद्युत कनेक्शन के नियमितीकरण न करने के कारण ₹ 4.63 करोड़ का अधिक व्यय

अस्थायी विद्युत कनेक्शन के नियमितीकरण हेतु दिल्ली अग्नि शमन सेवा से अपने नए भवन खण्डों हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में लोक नायक अस्पताल और लोक निर्माण विभाग की ओर से डिलाई के परिणामस्वरूप ₹ 4.63 करोड़ का अधिक व्यय

लोक नायक अस्पताल (अस्पताल) ने लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) के माध्यम से चार नए च्यू-सर्जिकल ब्लॉक, कैजुअल्टी ब्लॉक, स्पेशल वार्ड व ओपीडी का निर्माण कराया। लो.नि.वि. द्वारा कैजुअल्टी ब्लॉक अस्पताल को मई 2007 में सौंपा गया था।

चूंकि संस्थायीकृति विद्युत भार और विद्युत उप-केन्द्र की क्षमता इन नए भवन खण्डों की अतिरिक्त विद्युत मॉग की आपूर्ति नहीं कर सकते थे, इसलिए अस्पताल ने विद्युत वितरण कंपनी अर्थात् बीएसईएस से जनवरी 2008 में चिकित्सा अधीक्षक लोक नायक अस्पताल के नाम से एक 4000 कि.वो.ए. का नया अस्थायी विद्युत कनेक्शन लिया। टैरिफ अनुसूची के अनुसार, अस्थायी विद्युत कनेक्शन के माध्यम से विद्युत आपूर्ति पर उच्च दर प्रभारित की जाती है।

बीएसईएस के अनुसार, एक भवन का विद्युत कनेक्शन तभी नियमित किया जा सकता है जब उस भवन के संबंध में दिल्ली अग्निशमन सेवाओं से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (अ.प्रणद्व प्राप्त हो जाए। चूंकि अस्पताल के सिविल तथा विद्युत कार्यों का रखरखाव लो.नि.वि. का उत्तरदायित्व है, इसलिए अस्पताल ने कार्यपालक अभियंता (ई.), एम-151, लो.नि.वि. को दिल्ली अग्निशमन सेवा से अ.प्र. प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने व नए विद्युत कनेक्शन को नियमित कराने हेतु अनुरोध किया (दिसम्बर 2011)। अस्पताल ने फरवरी 2012 तथा मार्च 2012 में अनुस्मारकों के माध्यम से इस मामले का अनुकरण किया। इसके उत्तर में, सहायक अभियंता (ई.) बी-2441 ने सूचित किया (जून 2013) कि दिल्ली में अग्निशमन सेवा के कार्मिकों ने नए भवन खण्डों का निरीक्षण (जून 2013) में किया और इसमें कई कार्यों इंगित की गई जैसे (i) तलघर में सीढ़ी के दरवाजे पर

⁸ भूमि की लागत: आर.जी.स.स.च. और जे.ल.स.च. हेतु क्रमशः ₹ 6.00 करोड़ और ₹ 1.18 करोड़, निर्माण की लागत: आर.जी.स.स.च. और जे.स.स.च. की क्रमशः ₹ 110.67 करोड़ व ₹ 71.95 करोड़ और चिकित्सा उपकरण: आर.जी.स.स.च. का ₹ 2.00 करोड़

ताला लगा था, (ii) प्रत्येक मंजिल पर लिफ्ट लॉबी अवरुद्ध थी, (iii) तलघर का रैम्प अवरुद्ध था तथा (iv) प्रत्येक तल पर आपातकालीन सीढ़ियाँ पुराने फर्नीचर से अवरुद्ध थीं।

लो.नि.वि. (इलैक्ट्रीकल) ने अस्पताल को पुनः सूचित किया (सितम्बर 2013) कि विद्युत कार्यों से संबंधी कमियों को दूर कर दिया गया है और सिविल कार्यों हेतु सिविल विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अतः दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा इंगित की गई कमियों को पूर्ण रूप से लो.नि.वि. द्वारा सुधारा नहीं गया था और आवश्यक अ.प्र. की अब भी प्रतीक्षा थी (सितम्बर 2013)। परिणामस्वरूप सितम्बर 2013 तक अस्थायी विद्युत कनेक्शन को नियमित नहीं किया जा सका और हास्पिटल के पास बीएसईएस की ऊँची दरों पर ऊर्जा प्रभार अदा करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था।

यद्यपि अस्थायी विद्युत कनेक्शन जनवरी 2008 में, दो ब्लॉकों का निर्माण क्रमशः 2002 एवं 2006 में पूरा हो जाने के बाद लिया गया था परंतु अस्पताल ने लो.नि.वि. से दि.अ.से. द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये दिसम्बर 2011 में आग्रह किया था। विद्युत बिलों की लेखापरीक्षा ऊँच में पता चला कि अस्पताल मई 2008 से अस्थायी विद्युत कनेक्शन से खपत की गई बिजली से अधिक ऊर्जा प्रभार अदा कर रहा था और जुलाई 2013 तक बीएसईएस को ₹ 4.63⁹ करोड़ की अधिक धनराशि अदा कर चुका था।

इस प्रकार लोकनायक अस्पताल तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली अग्निशमन सेवाओं से अपनी नई बिलिंडग के लिए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त किए जाने तथा उसका अस्थायी बिजली कनेक्शन को नियमित किए जाने में शिथिलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.63 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

मामला विभाग को जनवरी 2014 में भेजा गया था परंतु (फरवरी 2014) तक उत्तर प्रतीक्षित था।

उद्योग विभाग

दिल्ली इन्स्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग

3.7 अतिरिक्त ब्याज अर्जन के सुअवसर का खोना

इन्स्टीट्यूट में फण्ड प्रबन्धन प्रक्रिया के न होने के परिणामस्वरूप ₹ 0.49 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज प्राप्ति के सुअवसर का खोना

सोसाइटिज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अनुसार दिल्ली सुलभ कार्यशैली तथा उत्तम समन्वय के लिए दिल्ली इन्स्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग (सोसाइटी) को नवम्बर 2007 में टूल कक्ष तथा प्रशिक्षण केन्द्र सोसायटी और हाई टैक वोकेशनल प्रशिक्षण केन्द्र सोसायटी को मिलाकर गठित किया गया था। सोसायटी का गठन टूल मैकिंग तथा टूल-डिजाईनिंग जैसे डाई, मौल्डस, प्रेस टूल्स, जिग्स, फिक्सचरस इत्यादि की सप्लाई के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति को आपूर्ति द्वारा माईक्रो, लघु तथा मध्यम वर्ग के उद्योगों के विकास के लिए किया गया।

⁹ अस्थायी कनेक्शन तथा नियमित कनेक्शन पर लागू होने वाली दरों के बीच अंतर के कारण यह अंतर 400 इकाई तथा अधिक के खंड पर लागू मई 2008 में 2.39 प्रति इकाई और मार्च 2013 में 1.95 प्रति इकाई के बीच रहा।

मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन के खंड 3 (XII) के अनुसार सोसायटी फण्ड का अनुरक्षण करती है, जिसमें रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा दी गई सभी धन राशियों के साथ-साथ सोसायटियों द्वारा प्राप्त किए गए सभी शुल्क व अन्य प्रभार सम्मिलित होते हैं।

सोसायटी ने 2009-13 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. से ₹ 32 करोड़ की आवर्ती सहायता अनुदान की राशि, वेतन पर आवर्ती व्यय, बिजली, पानी तथा टेलिफोन इत्यादि के लिए प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा प्राप्त किए गए शुल्कों, उपहारों, दान, वसीयतों तथा अन्य प्रभारों के कारण ₹ 7.17 करोड़ के अपने स्वयं के राजस्व भी सृजित किये। 2009-13 की अवधि के दौरान आवर्ती सहायता अनुदान तथा आन्तरिक सृजित राजस्व के वर्षवार ब्यौरे नीचे **तालिका 3.7.1** में दिए गए हैं:

तालिका 3.7.1
आवृति सहायता अनुदान तथा आन्तरिक सृजित राजस्व

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष (क)	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए स.अ. (ख)	आन्तरिक सृजित राजस्व (ग)	कुल आवर्ती राजस्व (घ=क+ख+ग)	वर्ष के दौरान व्यय (ङ)	अन्तिम शेष (घ-ङ)
2009-10	1.98	7.00	1.14	10.12	8.66	1.46
2010-11	1.46	7.00	1.90	10.36	9.38	0.98
2011-12	0.98	8.50	1.61	11.09	10.63	0.46
2012-13	0.46	9.50	2.52	12.48	11.30	1.18

(उपयोगिता प्रमाणपत्रों से लिए गए वर्ष के दौरान व्यय तथा अन्तिम शेष)

सोसायटी ने मार्च 2009 में रा.रा.क्षे.दि.स. से ₹ 3.14 करोड़ का गैर आवृति सहायता अनुदान भी प्राप्त किया। 2009-13 के दौरान की अवधि के प्रति प्राप्त की गई गैर-आवर्ती सहायता-अनुदान तथा किए गए व्यय का वर्षवार ब्यौरा नीचे **तालिका 3.7.2** में दिया गया है:

तालिका 3.7.2
गैर-आवृति सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष (क)	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए स.अ. (ख)	वर्ष के दौरान व्यय (ग)	अन्तिम शेष (क+ख-ग)
2009-10	3.28	शून्य	0.85	2.43
2010-11	2.43	शून्य	0.45	1.98
2011-12	1.98	शून्य	1.17	0.81
2012-13	0.81	शून्य	0.45	0.36

(उपयोगिता प्रमाणपत्रों से लिए गए वर्ष के दौरान व्यय तथा अन्तिम शेष)

उपरोक्त दो तालिकाएँ दर्शाती हैं कि वर्ष 2009-13 के दौरान सोसायटी के पास प्रयोग्यत अव्ययित शेषों के साथ-साथ गैर-आवर्ती सहायता अनुदान थे, एम.ओ.ए. के खंड 3 (XII) के अनुसार, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अधीन सोसाइटी, किसी भी प्रधिकृत प्रतिभूतियों अथवा रा.सा.क्षे.दि.स. द्वारा मंजूर किए गए किसी भी तरीके से धन का निवेश करती, जोकि तत्काल आवश्यक नहीं था।

लेखापरीक्षा में जबकि यह देखा गया कि, अव्ययित शेषों, जो तत्काल आवश्यक नहीं थे बैंक के बचत खाते में रखे हुए थे तथा सोसायटी ने एम.ओ.ए. के खंड 3 (XIII) के अनुसार उनको निवेश किए जाने का कोई प्रयास नहीं किया था। एम.ओ.ए. के अनुसार सोसायटी फण्ड प्रबन्धन प्रणाली का सही अनुसरण कर के अव्ययित शेषों को बैंक बचत खातों में रखने के बजाए फलैक्स डिपोजिस्ट टर्म में जमा करा देती तो वह 2009-13 की अवधि के दौरान ₹ 0.49¹⁰ करोड़ के अतिरिक्त देखा गया कि सोसायटी के वित्तीय ब्याज के हित के लिए, इन्सीटिट्यूट ने वित्तीय समिति अथवा उप-समिति नहीं बनाई थी, जैसाकि सोसायटी की नियमों तथा नियमावली के खंड 46 (XVII) में दिया गया था।

सरकार ने लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार (जनवरी 2014) किया तथा डी.आई.टी.ई. बैंक बचत खाता के लिए फलैक्सी-डिपोजिट सुविधा का आरंभ (अप्रैल 2013) किया तथा अगस्त 2013 से फरवरी 2014 तक की अवधि के दौरान ₹ 7.45 लाख का ब्याज अर्जित किया।

सेवा विभाग

3.8 दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

बोर्ड ने भर्ती की वार्षिक योजना तैयार नहीं की तथा लक्ष्यों को निश्चित नहीं किया। भर्ती के लिए बहुत बड़ी संख्या में माँगे अंतिम रूप देने के लिए लंबित थी। यद्यपि बोर्ड के द्वारा मांग की प्राप्ति के 180 दिन के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी की जानी थी किन्तु वह इस निर्धारित अवधि में एक भी माँग को अंतिम रूप नहीं दे सका।

2009-10 से 2011-12 की अवधि को कवर करते हुए “दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड” पर लेखापरीक्षा यह देखने के उद्देश्य से की गई कि क्या बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.सा.क्षे.दि.स.) की आवश्यकता को पूरा कर सका लेखापरीक्षा ने निर्णायक नमूना पर आधारित विस्तृत संवीक्षा के लिए 299 में से 60 माँगों का चयन किया। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

3.8.1 माँगों को अंतिम रूप दिया जाना

3.8.1.1 वार्षिक योजना तथा लक्ष्यों का अभाव: वार्षिक योजना तथा लक्ष्यों का नियतन एक संगठन के अनिवार्य कार्यों को पूरा करने हेतु कार्यकारियों के हाथों में महत्वपूर्ण प्रबंधकीय उपकरण है। तथापि बोर्ड ने लेखापरीक्षा अर्थात् 2009-12 की अवधि के दौरान किसी वार्षिक योजना को तैयार नहीं किया तथा

¹⁰ सोसायटी द्वारा बचत खातों पर 3.5 प्रतिशत की दर से अर्जित किया गया ₹ 0.50 करोड़ के ब्याज की राशि तथा यदि राशि को शॉर्ट टर्म डिपोजिट/फलैक्सी डिपोजिट में ब्याज की प्रचलित दरों पर जमा किया जाता तो ₹ 0.99 करोड़ के ब्याज का अन्तर (हानि की गणना के लिए 7 प्रतिशत की औसत दर ली गई)

प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को नियत नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 10,959 रिक्तियों वाली 31 माँगें लंबित थीं।

बोर्ड ने सूचित किया (नवम्बर 2013) कि इसने अपने योजना एवं सांख्यिकी शाखा को वार्षिक योजना तैयार करने का कार्य सौंपा।

3.8.1.2 रिक्त पदों की संख्या का निश्चित न किया जाना: अधिसूचना के पैराग्राफ 4(i) तथा बोर्ड के सिटिजन चार्टर के पैराग्राफ 5(i) के अनुसार अध्यक्ष, समय-समय पर विभागों से गुप 'बी' व 'सी' पदों की संख्या जिनके लिए भर्ती की जानी है, को निश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। तथापि वहाँ कोई अभिलेख नहीं था जिससे पता चल सके कि बोर्ड द्वारा ऐसी कार्यवाही की जा रही थी। यह बोर्ड के प्रभावी तंत्र के अभाव का संकेतक है जिससे इसके भविष्य की गतिविधियों की पूर्वापेक्षा उनको प्राथमिकता देना तथा निष्पादन के बाधित स्तर को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई जा सकती है।

3.8.1.3 मांगों को अंतिम रूप देने में विलंबः दिनांक 12 मई 2008 के संशोधित प्रस्ताव के पैराग्राफ 3 (क) (iii) के संबंध में बोर्ड के लिए संबंधित विभागों से मांग प्राप्त होने के 180 दिनों की अवधि के लिए चयन प्रक्रिया को पूरा करना तथा उपयुक्त उम्मीदवार की सिफारिश करना आवश्यक है। 2009-12 के दौरान मांगकर्ता विभागों से प्राप्त 19281 पदों के लिए 60 चयनित मांगों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि बोर्ड निर्धारित अवधि के भीतर एक भी मांग को अंतिम रूप नहीं दे सका। चयनित मांगों की संक्षिप्त स्थिति तालिका 3.8.1 में है:

तालिका 3.8.1
मार्च 2012 तक प्राप्त 60 चयनित माँगों की स्थिति

क्रं. सं.	मांग वर्ष	मांगों/रिक्तियों की संख्या	मांगों की स्थिति	स्थिति (30 सितंबर 2013 को)		
				विभाग	विलंब*	
					वर्ष	महीने
1	मार्च 2008 तक	4 (102)	एस**- 2	उत्पादन-शुल्क विभाग तथा मानवीय व्यवहार तथा संबंधित विज्ञान का संरक्षण	-	-
			डब्ल्यू - 2	जेल महानिदेशक	2	10
2	2008-09	9 (382)	एस**- 4	दिल्ली जल बोर्ड-2 तथा फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला-2	-	-
			पी - 5	दिल्ली नगर निगम-1, एन सी सी-1 तथा डी एस आई डी सी-1, दिल्ली जल बोर्ड-1, दिल्ली जल बोर्ड-1	4 4 4 4	11 10 7 3
3	2009-10	24 (14,389)	एफ - 9	स्वा.एवं प.क-1, डी.आई.एस.एम.एच.-1	2	9
				स्वारक्ष्य एवं परिवार कल्याण-2	2	5
				स्वारक्ष्य एवं परिवार कल्याण-1	2	4
				शिक्षा विभाग-1	2	2
				दिल्ली जल बोर्ड-1, दिल्ली परिवहन निगम-1	1 1	6 4
			एस**- 2	स्वारक्ष्य एवं परिवार कल्याण-1	1	0
			डब्ल्यू - 1	शिक्षा विभाग-2	-	-
				दिल्ली परिवहन लाइब्रेरी	2	7

			पी - 12	दि.न.नि.-1, शिक्षा विभाग-1 दिल्ली जल बोर्ड-1 समाज कल्याण-1 परिवहन-1 डी.टी.टी.ई.-6, दि.ज.बो.-1 दि.न.नि.-1	3 3 3 3 3 3	10 9 7 7 1 0
4	2010-11	14 (1,849)	एफ - 2	शिक्षा विभाग-1	2 2	7 0
			एस **- 5	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-1 न दि न पा-2, दि ज बो-1 शिक्षा विभाग-1	-	-
			पी - 7	डी.एस.आई.आई.डी.सी-1 दि न नि-1, न.दि.नि.पा -1 दि न नि-1 दि न नि-1 शिक्षा-2	4 2 2 2 2	10 10 8 6 3
5	2011-12	9 (2,559)	एस **-2	दि न नि-1, तथा डी एफ एस-1	-	-
			पी - 7	दिल्ली वित्त निगम-1 दि न नि-1 एफ एस एल - 2, सेवा विभाग-1 शिक्षा विभाग-2	1 1 1 1	9 7 6 1

एस=समाप्त किए गये, डब्ल्यू=वापस लिए गये, पी=लंबित, एफ=अंतिम रूप दिए गये।

*विलंब की गणना, मांग की प्राप्ति के अगले माह से 180 दिनों के पश्चात से की गई है।

**दिनांक 1.6.2012 के उच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत कुल 15 मामले समाप्त किए गए।

- तालिका से यह देखा गया है कि बोर्ड 3578 पदों के केवल 11 मामलों (18 प्रतिशत) को अंतिम रूप दे सका, जिनमें 12 महीनों से 33 महीनों तक का विलंब था। जबकि रिक्तियों के आरक्षण की नीति की अस्पष्टता के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत 1004 पदों के 15 मामले समाप्त कर दिए गए थे, जेल म.नि तथा दिल्ली पश्चिम लाइब्रेरी ने अपनी मांगों को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण अपनी मांगों को वापिस ले लिया। शेष 31 मांगे (52 प्रतिशत) जो 2008-12 के दौरान प्राप्त की गई, तथा उनमें शामिल 12 विभागों से संबंधित 10,959 रिक्तियों को 30 सितंबर 2013 तक अंतिम रूप दिया जाना था। इन मामलों में 13 महीनों से 59 महीनों तक पहले ही विलंब हो चुका था।

बोर्ड ने अपने उत्तर (अक्टूबर व नवम्बर 2013) विलंब के लिए (i) अधिक संख्या में आवेदनों की प्राप्ति, आवेदनों पर कार्रवाई का मैनुअल सिस्टम, 2013 से पूर्व की पुरानी परीक्षा प्रणाली तथा आवेदनों की प्राप्ति के पश्चात् पदों के वर्गीकरण में बदलाव (ii), आवश्यक योग्यताओं में परिवर्तन (iii) भर्ती नियमों में संशोधन (iv), अपूर्ण सूचना/प्रलेख तथा (v) उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी जैसे कारण बताए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि इन सभी मामलों में या तो बोर्ड ने स्वयं दो से तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात् आवश्यक प्रलेखों के लिए पूछा था या विभाग ने भर्ती नियमों अथवा अन्य आवश्यकताओं में परिवर्तन किया। उदाहरण के लिए मांगों को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण शिक्षा विभाग को पूरी तरह से अस्थायी आधार पर गैर स्टीचर्स की नियुक्ति हेतु बाध्य होना पड़ा।

- अंतिम रूप दिए गए 11 मामलों के संबंध में बोर्ड 7204 उम्मीदवारों की कुल मौंग के प्रति केवल 3578 उम्मीदवारों की डोजियर भेज सका था। बोर्ड ने सूचित किया कि कमी के प्रति कोई नियुक्त उम्मीदवार नहीं पाए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसने इस दावे के समर्थन में प्रलेखित प्रमाण नहीं दिए कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं पाए गए थे।

3.8.2 बोर्ड का गठन

अधिसूचना जैसा कि (मई 2008 में संशोधित) की शर्तों के अनुसार बोर्ड में एक अध्यक्ष, दो सदस्य, एक परीक्षा नियंत्रक, एक सचिव तथा सहायक स्टॉफ होना चाहिए। तथापि बोर्ड, जबकि जुलाई 1997 में बन गया था, दिसम्बर 2012 तक जब इसमें पहला सदस्य आया, बिना किसी सदस्य के कार्य कर रहा था। बोर्ड में दूसरे सदस्य तथा परीक्षा नियंत्रक के पद रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अभी तक (सितम्बर 2013) भरे जाने थे।

अध्यक्ष रिक्तियों की संख्या निश्चित करने हेतु उत्तरदायी है तथा सदस्यों तथा परीक्षा नियंत्रक के द्वारा उसकी सहायता की जाती है। परीक्षा नियंत्रक परीक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है।

सदस्यों तथा परीक्षा नियंत्रक की उच्च-स्तर पर नियुक्ति में सरकार के दृष्टिकोण तथा निम्न स्तर पर 25 प्रतिशत कमी (134 संस्वीकृत पदों के प्रति 100 की तैनाती) ने बोर्ड के निष्पादन को बुरी तरह से प्रभावित किया, जैसाकि पूर्व पैराग्राफों में चर्चा की गई। किसी भी मामले में बोर्ड, मांगकर्ता विभागों की मांगों को निर्धारित समय सीमा में अंतिम रूप देने में सफल नहीं हुआ और इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में मांगे अंतिम रूप देने के लिए लंबित पड़ी थी। सितम्बर 2013 तक बोर्ड द्वारा 18283 पदों के लिए अभी तक 224 परीक्षाएँ आयोजित की जानी थी।

3.8.3 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

अधिसूचना (2008 में आंशिक रूप से संशोधित) के अनुसार बोर्ड का प्राथमिक कार्य रा.रा.क्षे.दि.स. के विभागों विभागों तथा स्थानीय निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ग्रुप 'बी' व 'सी' वर्गों के पदों की सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत नियुक्ति हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बोर्ड को, अपने स्टॉफ की संख्या पूरी करने के अतिरिक्त एक अच्छी ढांचागत नीति तथा प्रणाली को अपनाना चाहिए था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चयन प्रक्रिया दक्ष, पारदर्शी है और निर्धारित समय के भीतर पूरी की जाती है।

तथापि, यह पाया गया कि बोर्ड के पास मैनुअलों, स्थाई आदेशों, दिशानिर्देशों, नियमों, विनियमों, आवधिक रिपोर्टों, रिटर्नस तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के रूप में एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र नहीं था। बोर्ड की बैठकें जिनमें नीति मामलों, विभिन्न शाखाओं के निष्पादन की समीक्षा, प्राप्त मामगों पर आधारित चालू भर्ती कार्यों की निगरानी पर चर्चा की गई तथा निर्णय लिए गए, कोई रिकार्ड नहीं रखा गया। यद्यपि बोर्ड रा.रा.क्षे.दि.स. के सेवा विभाग का संलग्न कार्यालय है इसने अधिसूचना के तहत वांछित, इसके सेवा विभाग व अन्य प्रधिकारियों को कार्य का वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

बोर्ड ने केवल फरवरी 2013 और उसके बाद की बैठकों के कार्यवृत्त उपलब्ध (जुलाई 2013) करवाये, किन्तु लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान की गई बैठकों का कोई कार्यवृत्त लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। बोर्ड ने अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2013) कि बैठक सूचनाएँ व बैठकों के कार्यवृत्त मामले की गोपनीयता

को देखते हुए दर्ज नहीं किए गए उत्तर अस्वीकार्य है। चूंकि वास्तव में हुई बैठकों को दर्शाने हेतु कुछ अभिलेखों को रखा जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा उपलब्धियाँ सरकार को सितम्बर 2013 में भेजी गई थी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2014)।

शहरी विकास विभाग

दिल्ली नगर निगम

3.9 दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुरक्षित सामुदायिक भवन

सामुदायिक भवनों में मूलभूत सुविधायें तथा साधन जैसे पेय जल, स्वच्छता, निकासी तथा सीवरेज, इलेक्ट्रिक फिटिंग इत्यादि या तो नहीं थे या फिर निम्न गुणवत्ता के थे। पार्किंग सुविधाएँ, रसोईघर की सुविधा तथा अग्नि सुरक्षा के प्रबंध मानकों के अनुरूप नहीं थे। सा.भ. के कार्यप्रणाली की प्रभावी निगरानी नहीं थी। सा.भ. का अधिभोग इष्टतम से कम था।

मई 2012 में दि.न.नि. को तीन भागों में विभाजित करने के बाद तीन निगम-दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (द.दि.न.नि.), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (उ.दि.न.नि.) तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम (पू.दि.न.नि.) अपने सम्बन्धित क्षेत्राधिकार में आने वाले सामुदायिक भवनों (सा.भ.) का सामुदायिक सेवा विभागों (सा.से.वि.) के माध्यम से अनुरक्षण कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुरक्षित 266 में से 41 सामुदायिक भवनों की 2010-11 से 2012-13 की अवधि की लेखापरीक्षा सामुदायिक भवनों में प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए की गई। निम्नलिखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष हैं:

3.9.1 वित्त

2010-13 के दौरान दि.न.नि. के सभी सा.भ. की मरम्मत तथा रख.रखाव हेतु बजट आवंटन, वास्तविक व्यय, साथ ही वसूला गया राजस्व निम्न तालिका 3.9.1 में दिया गया है:

तालिका 3.9.1
बजट, वास्तविक व्यय व वसूला गया व्यय (2010-13)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सा.भ. की संख्या	बजट आवंटन	व्यय	बचत (%)	सा.भ. के प्रयोग से वसूला गया राजस्व
2010-11	216	2.00	0.84	1.16 (58)	0.92
2011-12	235	3.00	0.47	2.53 (84)	4.69
2012-13	266	3.00	0.42	2.58 (86)	11.90
कुल	-	8.00	1.73	6.27	17.51

यह तालिका संकेत करती है कि इन सभी तीन दि.न.नि. के सा.भ. की मरम्मत तथा रख.रखाव पर व्यय 2010-13 के दौरान ₹ 1.73 करोड़ था जिसमें इन सभी तीन वर्षों के दौरान बचत की हुई प्रवृत्ति (58 से 86 प्रतिशत) दिखाई देती है।

3.9.2 नागरिक जन सुविधायें और अन्य सुविधाओं का प्रावधान

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच और दि.न.नि. के सामुदायिक सेवा विभागों के प्रतिनिधियों के साथ किये गये 41 चयनित सा.भ. के प्रत्यक्ष दौरों से पता चला कि उपभोक्ताओं को मूलभूत जन-सुविधायें व अन्य सुविधायें नहीं प्रदान की गयी थीं और जहां पर प्रदान की गयी थीं वहां वह अल्प गुणवत्ता वाली थी। प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान, सा.भ. में प्रदान की गयी सेवाओं में पायी गयी कमियों और त्रुटियों की आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गयी है:

3.9.2.1 पेय जल

41 चयनित सा.भ. में से 32 सा.भ. में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल की आपूर्ति नहीं थी। इसलिये, कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को या तो बोरबेल के असंशोधित जल का प्रयोग करना पड़ रहा था, जिसके कारण स्वास्थ्य समस्यायें उत्पन्न हो रही थीं, या फिर उन्हें जल की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ रही थी।

3.9.2.2 स्वच्छता सेवायें

22 फरवरी 2011 के आयुक्त के आदेश जो कि निदेशक (सा.भ.वि.), द्वारा ज्ञापित किया गया, के अनुसार जोनल सहायक निदेशक स्वच्छता मदों की आवश्यकता का आकलन करने के लिये तदनुसार इसे सा.भ.वि. (मुख्यालय) को सूचित करने के लिए उत्तरदायी है जिससे कि यह मदें समय से खरीदी और आपूर्ति की जा सके। यदि यह मदें स्टोर में उपलब्ध नहीं है तो आपातकाल के समय वह ₹ 1000 की सीमा तक इन मदों की खरीद के लिये प्राधिकृत है। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि सा.भ. में न तो स्वच्छता मदों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया और न ही उपलब्ध करायी गई। किसी भी सामुदायिक भवन में स्वच्छता मदों (उपभोग्य वस्तुयें जैसे झाड़ू पोंछा, फिनायल, क्लीनिंग एंजेंट, साबुन आदि) के क्रय और भंडारण का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया था। दौरों के दौरान यह भी पाया गया कि किसी भी सा.भ. में स्वच्छता मदें नहीं पायी गयी और यहां पर निम्न स्तरीय स्वच्छता व्यवस्था थी। 24 सा.भ.¹¹ में शौचालय और स्नानघर विशेष रूप से बहुत बुरी स्थिति में थे इनमें से ज्यादातर में कमोड, यूरीनल, पलश सिस्टम, वाशबेसिन, लाईट और दरवाजे आदि टूटे पाये गये। चार सा.भ.¹² में महिलाओं के लिये पृथक शौचालय सुविधा की व्यवस्था नहीं थी, जबकि सी ब्लॉक, सुल्तान पुरी के सा.भ. में कोई शौचालय सुविधा नहीं थी। 20 सा.भ.¹³ में लगभग 50 प्रतिशत में पानी के नल या तो टूटे हुये थे या कार्य नहीं कर रहे थे।



(सैक्टर-13, रोहिणी में सा.भ.)



(कोटला मुबारकपुर में सा.भ.)

¹¹ रोहिणी सैक्टर 5.13.11.3 साहबाद डेयरी, शालीमार बाग, नाईवाला, अमरज्योति कॉलोनी, बल्लीमरान, सी-ब्लॉक मंगोलपुरी, डी.बी. गुप्ता रोड, तिकोना पार्क कशीरी गेट, महावीर वटिका, हकीकत नगर, त्रिलोकपुरी 17-ब्लॉक घोड़ा चौक, मंडावली, कोटला मुबारकपुर, सेवा नगर, नेहरू नगर, बाटला हाउस, श्रीनिवासपुरी, पश्चिमपुरी पॉकेट-2, मालवीया नगर।

¹² नाईवाला, तिकोना पार्क कशीरी गेट, हकीकत नगर, त्रिलोकपुरी 17 ब्लॉक

¹³ रोहिणी सैक्टर 5.13.11 शाहबाद डेयरी, शालीमार बाग, नाईवाला, अमर ज्योति कॉलोनी, सी-ब्लॉक सुल्तानपुरी, डी.बी. गुप्ता रोड, महावीर वटिका, मुखर्जी नगर, कोणडली, मधूर विहार फेस-1 घोण्डा चौक, ताहिरपुर, पूर्ण लोनी, कोटला मुबारकपुर, सेवा नगर, बाटला हाऊस, श्रीनिवासपुरी

3.9.2.3 जल निकास एवं सीवर व्यवस्था

छ: सा.भ.¹⁴ सीवर व्यवस्था से नहीं जुड़े थे जबकि पॉच¹⁵ अन्य में सीवर व्यवस्था अवरोधयुक्त थी। अमर ज्योति कॉलोनी और श्री निवासपुरी में सा.भ. में जल निकास प्रणाली उचित नहीं थी जिससे परिसर में जल रोधन हो रहा था व कीचड़ इकट्ठा हो रहा था।



(अमर ज्योति कॉलोनी में सा.भ.)



(श्री निवासपुरी में सा.भ.)

3.9.2.4 विद्युत फिटिंग, पंखे, ट्यूब-लाइट इत्यादि

खुले और लाइव वायर प्रतिष्ठान, सर्किट, जंक्शन बॉक्स, इत्यादि मानव जीवन के लिए स्थायी खतरे का खुला निमंत्रण है। तथापि प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान 24 सा.भ.¹⁶ में लटकते बिजली के तार, खुले और टूटे स्विच बोर्ड पाए गए। सात सा.भ.¹⁷ में अधिकांश पंखे और ट्यूब लाइटों असुधार्य स्थिति में थीं और काम नहीं कर रही थीं।



(मयूर विहार, फेस-I में सा.भ.)



(घोंडा चौक में सा.भ.)

3.9.2.5 भवनों की दुर्दशा

प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 12 सा.भ.¹⁸ के भवनों की दशा खराब थी और उनकी तुरन्त मरम्मत की जानी थी। भवनों के टूटे दरवाजे, छिड़कियाँ, दिवारों तथा छतों इत्यादि के प्लास्टर उतर रहे थे। यह पाया गया कि इन सा.भ. में से दो (शाहबाद डेरी और अमर ज्योति-सैकटर-17 रोहिणी) 2004-05 में ही निर्मित हुए परन्तु खराब रख-रखाव के कारण ये जर्जर हो गए हैं। यद्यपि सा.भ.वि. भवन के दोषों के बारे में शिकायतें करता रहा है, दि.न.नि. के अभियांत्रिकी विभाग ने, जो मरम्मत और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है, कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। यह दि.न.नि. के दो विभागों के बीच समन्वय के अभाव को दर्शाता है।

¹⁴ त्रिलोकपुरी 17-ब्लॉक शाहबाद डेरी, अमर ज्योति कॉलोनी, सी-ब्लॉक मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी, मुखर्जी नगर

¹⁵ पूर्वी लोनी, कोटला मुवारकपुर, सेवा नगर, नेहरू नगर, बाटला हाऊस

¹⁶ शाहबाद डेरी, ए-ब्लॉक नांगलोई, शालीमार बाग, रोहिणी सैकटर 3.11.13, सी-ब्लॉक मंगोलपुरी, डी.बी. गुप्ता रोड, हकीकत नगर, त्रिलोकपुरी 17-ब्लॉक कॉलोनी, मसूर विहार फेस-1, घोंडा चौक, मण्डावली, ताहिरपुर, पूर्वी लोनी, कोटला मुवारकपुर, सेवा नगर, भोगल, नेहरू नगर, बाटला, मारीपुर ए-ब्लॉक, परिषमपुरी पॉक्ट-2, विकासपुरी

¹⁷ शाहबाद डेरी, ए-ब्लॉक नांगलोई, सी-ब्लॉक मंगोलपुरी, मसूर विहार, मण्डावली, बाटला हाऊस कोटला मुवारकपुर

¹⁸ शाहबाद डेरी, नाईवाला, अमर ज्योति कॉलोनी, रोहिणी सैकटर 13, सी-ब्लॉक सुल्तानपुरी, हकीकत नगर, मुखर्जी नगर प्रथम तल, त्रिलोकपुरी 17 ब्लॉक सी.पी.जे. ब्लॉक सीलमपुर, कोटला मुवारकपुर, बाटला हाऊस, नेहरू नगर



(शाहबाद डेयरी में सा.भ.)



(नेहरू नगर में सा.भ.)

3.9.2.6 पार्किंग व्यवस्था

सा.भ. 41 में से मात्र चार में पार्किंग की सुविधाएँ हैं। बाकी 37 में, समारोहों में आने वाले लोग अपने वाहन खड़े करने के लिए गलियों में जहाँ भी स्थान उपलब्ध हो, वहाँ पार्किंग हेतु विवश हैं जिससे आस-पास के मोहल्लों में, दैनिक जनजीवन बाधित होता है।

3.9.2.7 रसोईघर

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सा.भ. में रसोईघर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, आकार में बहुत छोटे थे कि वे ऐसे समारोहों के दौरान खाना पकाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अतः उन्हे भण्डार गृह की तरह प्रयोग किया जा रहा था ना कि रसोईघर की तरह। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 सा.भ.¹⁹ में रसोईघर की सुविधा ही नहीं थीं और प्रयोगकर्ता खाना पकाने हेतु खुले स्थान का प्रयोग कर रहे थे, जिससे फर्श खराब और क्षतिग्रस्त हो रहे थे।

3.9.2.8 अग्नि सुरक्षा प्रबंध

किसी भी सामुदायिक भवन में अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रबंध अर्थात् अग्नि शामक, फॉयर बकेट, फॉयर अलार्म, और फॉयर डिटेक्टर नहीं पाये गये।

लेखापरीक्षा विश्लेषण ने दर्शाया कि औसतन, प्रति वर्ष प्रत्येक सा.भ. में विवाह, धार्मिक कार्यक्रम जैसे 42 समारोह आयोजित किए गए थे। प्रति वर्ष प्रत्येक सा.भ. में औसतन व्यय केवल ₹ 0.22 लाख किया गया था जो कि जन साधारण को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में अपर्याप्त प्रतीत होता है। इस प्रकार, स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सा.भ. में लोक जन को गुणवत्ता सुविधाएं मुहैया कराना दि.न.नि. की प्राथमिक सूची में नहीं था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए (नवंबर 2013) दि.न.नि. ने कमियों के लिए निधियों और स्टॉफ की कमी पर आरोप लगाया। जहाँ तक निधियों की कमियों का प्रश्न है उत्तरए तत्थ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान 'सा.भ.' की मरम्मत और रखरखाव' मद के अन्तर्गत 58 से 86 प्रतिशत की बचत की गई थी एवं दि.न.नि. ठन 266 सा. भवनों से पर्याप्त राजस्व अर्जित कर रहा था (2010.13 के दौरान ₹ 17.51 करोड़ अर्जित किया गया)।

3.9.3 मानव संसाधन

सा.भ. चलाने और उनके रख-रखाव हेतु स्टॉफ की अत्याधिक कमी थी। अगस्त 2013 तक, 351 (44 सामुदायिक आयोजक, 69 सहायक सामुदायिक आयोजक और 238 सामुदायिक कार्यकर्ता) की संख्याकृत संख्या के विरुद्ध मात्र 178 कर्मचारी

¹⁹ ए-ब्लॉक नांगलोर्ड, नाईवाला, बल्लीमरान, सी-ब्लॉक सुल्तानपुरी, डी.बी. गुप्ता रोड, तिकोना पार्क कबीरी गेट, मुखर्जी नगर, त्रिलोकपुरी 17 ब्लॉक, सीलमपुर, कोण्डली, सोवा नगर, नैहरू नगर, मादीपुर ए-ब्लॉक, विकास पुरी, मालवीय नगर

तैनात थे। इसके अतिरिक्त, 54 छौकीदार और 128 सफाई कर्मचारी भी कम थे। स्टॉफ की कमी गुणवत्ता सामुदायिक सेवाएं पहुँचाने में और पर्यवेक्षी स्टाफ द्वारा निगरानी को प्रभावित कर रही थी।

अपने उत्तर में दि.न.नि.ने (नवंबर 2013) बताया कि स्टॉफ की कमी के कारण ए सा.भ. के निरीक्षण सहित रोजमर्रा की समस्या का सामना कर रही थी। हालांकि कार्यप्रणाली की क्षमता में सुधार के प्रयास किये गये थे।

3.9.4 सा.भ. की कार्यपद्धति की निगरानी

3.9.4.1 निरीक्षण

निदेशक (सा.से.वि.) द्वारा कर्तव्यों के नियतन के अनुसार ए क्षेत्र के सामुदायिक आयोजक (सा.आ.) अपने संबंधित प्रभार के अन्तर्गत आने वाले सा.भ. के दैनिक निरीक्षण और पर्यवेक्षण हेतु और निरीक्षण रिपोर्ट को सा.से.वि. के निदेशक को प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। सा.आ. का कार्य सामुदायिक कार्यकर्ताओं (सा.का.) की गतिविधियों तथा कार्यक्रमों के आयोजन या ऐसे ही किसी अन्य मामलों पर मार्गदर्शन और सलाह देना होता है। तथापि, यह पाया गया कि सा.आ. ने 2010-13 के दौरान न कोई निरीक्षण किया और न ही निदेशक को कोई निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह दर्शाता है कि सा.आ. और सा.का. के कार्य की निगरानी हेतु कोई प्रणाली नहीं थी क्योंकि यह चूक किसी भी समय उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा संज्ञान में नहीं ली गई।

दि.न.नि. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और (नम्बर 2013) बताया कि पर्यवेक्षी को ठीक करने के लिए मुख्यालय स्तर पर आवधिक बैठकों के संचालित करने के प्रयत्न किये जा चुके हैं। सा.भ. में निरीक्षण प्रफोर्मा उपलब्ध कराया गया है और निरीक्षण संबंधित निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

3.9.4.2 सा.भ. का इष्टतम से कम उपयोग

सा.से.वि. द्वारा प्रदत्त सूचना (दि.न.नि. की वेबसाईट से डाउनलोड की गई एक प्रति) से संकेत मिलता है कि सा.भ. का उपयोग इष्टतम से कम था। 2010-13 के दौरान 110 सा.भ. का औसत वार्षिक उपयोग 20 दिनों से कम था और मात्र चार मामलों में यह 180 दिन से अधिक था। बाकी सा.भ. में वार्षिक उपयोग 20 और 180 दिनों के बीच था। यह भी पाया गया कि लेखापरीक्षा हेतु चुने गए 41 में पाँच मामले²⁰ में प्रथम तर्जों पर स्थित सा.भ. लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान एक बार भी बुक नहीं कराए गए। उपयोग न होने के कारणों में से एक यह था कि दो सा.भ. के लिए केवल एक गेट वाला परिसर था, जो एक भूमितल और दूसरा प्रथम तर्ज पर स्थित थे।

ये सूचनाएँ इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि प्रदत्त सुविधाएँ सा.भ. में अपने समारोहों के आयोजन हेतु लोगों का ध्यान आकर्षित करने हेतु पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं थी।

अपने उत्तर में दि.न.नि. ने (नवंबर 2013) बताया कि सा.भ. का आरक्षण आम लोकजन का विशेषाधिकार था। विद्यमान स्थिति के अंतर्गत इस मामले में विभाग का कोई नियंत्रण नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दि.न.नि. द्वारा उपलब्ध

²⁰ कॉलोनी, मण्डावली, अमर ज्योति कॉलोनी, रोहिणी सैकटर-2, मुख्यर्जा नगर

कराई गई सुविधायें, लोकजन को सा.भ. में अपने कार्यक्रम आयोजन करने के लिए पर्याप्त गुणवत्ता वाली नहीं थी।

पू.दि.न.नि. ने भी बताया कि उसने सामुदायिक भवनों को उपयोगिता की चर्चा और सा.भ. का आरक्षण और राजस्व में वृद्धि के लिए नियमित स्टाफ बैठकों का संचालन किया है। स्टाफ को निर्देश दिये गये हैं कि कार्यक्रम के दौरान पार्टी को साफ स्थान और सहयोग दिया जाए।

3.9.5 नए सा.भ. का निर्माण व सुपुर्दगी

दि.न.नि. के सम्बद्ध अभियान्त्रिकी विभाग नए भवन के निर्माण तथा भवन में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में सा.से.वि. से परामर्श के बाद निर्माण आरंभ करने हेतु उत्तरदायी है। रा.रा.क्षे.दि.स. नए सा.भ. के निर्माण हेतु सहायता अनुदान के रूप में निधियां प्रदान करता है। 2012-13 के दौरान योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत सा.भ. के निर्माण पर बजट आबंटन व वास्तविक व्यय निम्न तालिका 3.9.2 में दिया गया है:

तालिका 3.9.2

योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत बजट व वास्तविक व्यय (2010-13)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आबंटित बजट	व्यय	बचत (%)
2010-11	25.00	24.06	0.94 (3.76)
2011-12	60.94	42.32	18.62 (30.55)
2012-13	62.10	35.20	26.90 (43.32)
कुल	148.04	101.58	46.46 (31.38)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि दि.न.नि. ने 2010-13 की अवधि के दौरान ₹ 148.04 करोड़ के आबंटन के विरुद्ध ₹ 101.58 करोड़ का व्यय किया जिससे ₹ 46.46 करोड़ (31.38 प्रतिशत) का अव्ययित शेष रहा। यह संकेत करता है कि दि.न.नि. को उपलब्ध अनुदान का उपयोग करने हेतु अधिक प्रयत्न करने चाहिए जिससे अन्ततोगत्वा नए सा.भ. के निर्माण की प्रगति पर प्रभाव पड़ता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य एजेंसी से भूमि का अधिकार प्राप्त करने के बाद सा.से.वि. अभियान्त्रिकी विभाग को नए सा.भ. के निर्माण हेतु मॉगपत्र भेजती है। तथापि कोई ऐसा नियम या समय सीमा नहीं है जिसके भीतर अभियान्त्रिक विभाग को भवन के निर्माण को पूर्ण कर उसे सा.से.वि. को सौंप देना चाहिए। न ही मॉगपत्र में इस सम्बन्ध में कोई नियम या शर्त हैं। जबकि सीपीडब्ल्यूडी नियमावली का अनुच्छेद 15.4(7) यह निर्धारित करता है कि 4 मजिले भवनों का निर्माण 8-12 महीनों में पूर्ण किया जाना चाहिए।

55 मामलों की नमूना जॉच में पता चला कि सात सा.भ.²¹ के भवन ₹ 11.13 करोड़ की लागत पर जनवरी से दिसम्बर 2012 के दौरान पूर्ण किए गए, परंतु इनके पूर्ण होने के 8 से 19 माह बीत जाने पर भी अगस्त 2013 तक अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा सा.से.वि. को सौंपा नहीं गया था। 26 मामलों में अभियान्त्रिकी विभाग ने नए सा.भ. के निर्माण तथा इनकी सा.से.वि. को सुपुर्दगी करने में 29 से 93 माह लगाए। अन्य 22 मामलों में मॉगपत्रों की तिथि से 20 से 60 माह की समाप्ति के बाद भी

²¹ गीता कॉलोनी, शहीद अपार्टमेंट, विजय नगर डबल स्टोरी, एल-ब्लॉक जे.जे. कॉलोनी वजीरपुर, ई-ब्लॉक सुलतानपुरी, पी-ब्लॉक मंगोलपुरी, एफ-ब्लॉक सुलतानपुरी

निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। इस प्रकार, नए सा.भ. के निर्माण तथा सुपुर्दगी में विलम्ब से जनता विलम्ब की अवधि के दौरान सुविधाओं से वंचित रही।

सा. से. वि. ने अपने जबाब (नवम्बर 2013) में नये सामुदायिक भवनों के निर्माण पर देरी का आरोप अभियांत्रिक विभाग पर लगाया क्योंकि अपूर्ण ढांचे को सौंपा नहीं जा सका। अभियांत्रिक विभाग के अनुसार माँग करने से पूरा होने तक साधारणतया एक सामुदायिक भवन के लिए 50 महीने आवश्यक थे। जबाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 26 सा.भ. में से 14 सामुदायिक भवन 53 से 93 महीनों के अन्दर निर्माण के उपरान्त सा.से.वि. को सौंप दिये गये थे। अभियांत्रिक विभाग ने आगे कहा है कि एल ब्लाक झु.झो. कॉलोनी वजीर पुर के सामुदायिक भवन के मामले में सा.से.वि. को नव निर्मित भवन सौंपने के लिए मई 2013 में सूचित किया गया था किन्तु अक्टूबर 2013 तक उनका जबाब प्रतीक्षित था। नये सामुदायिक भवनों के निर्माण एवं उन्हें सा.से.वि. को सौंपने की समय सीमा के मानकों के बारे में कोई जबाब नहीं है। उससे भी दों विभागों के बीच समन्वय की कमी प्रदर्शित होती है।

3.9.6 अन्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.9.6.1 सुरक्षा जमा सरकारी खाते में जमा नहीं की गई

प्राप्ति एवं भुगतान नियमों का नियम 6 यह प्रावधान करता है कि सरकार के राजस्व या प्राप्तियों या बकायों के कारण सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गयी या उन्हें निविदाकृत धनराशियों बिना किसी विलम्ब के सरकारी खाते में सम्मिलित किए जाने हेतु अनुमोदित बैंक में जमा की जाय। अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पता चला कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रयोगकर्ताओं से संग्रहित जमा को सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया। इसे समारोह के बाद प्रयोगकर्ता को जारी करने तक सामुदायिक कार्यकर्ता द्वारा रखा गया। यह भी पाया गया कि कई मामलों में डिमांड ड्राफ्टों की वैधता समारोह की तिथि से पूर्व समाप्ति हो गई जिससे प्रयोगकर्ता की ओर से किसी हानि, हर्जाने, इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ।

दि.नि.नि. ने तथ्यों को स्वीकारा और कहा (नवम्बर 2013) कि मामले को उचित और उपर्युक्त संबोधन देने के लिए उच्चतर प्राधिकारियों के पास लिया जा सकता है।

3.9.6.2 सा.भ. में अप्राधिकृत कब्जा

चार मामलों²² में, सा.भ. के परिसर में निजी पार्टियों द्वारा अपने जनरेटर सेट, टेन्स आईटम, टेबल, बेड, सोफे, इत्यादि रखने तथा इनका भण्डारण करने हेतु अप्राधिकृत रूप से कब्जा किया गया था। अनुबंध के पुनःआरंभ किये बिना सीपीज ब्लॉक, सीलमपुर में सा.भ. में पुराने भवन में अप्राधिकृत रूप से एक एनजीओ (केयर निधि) द्वारा कब्जा पाया गया है।

सा.भ., कोटला मुबारकपुर और सा.भ., बाटला हाऊस के संदर्भ में दि.दि.नि.नि. ने बताया कि स्थल से टैंट मदों को लाना और हटाने में काफी समय लगता है और प्रत्येक और हर क्रिया पर निगरानी रखना मुश्किल था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है उत्तर संस्वीकृत सर्वेक्षण के दौरान दोनों सा.भ. के सा.आ. और सा.का. ने अवलोकित किया कि परिसर के अधिभोग्ता अप्राधिकृत थे जिसके लिये मामला

²² कोटला मुबारकपुर, बाटला हाऊस, मुखर्जी नगर, वल्लीमरान

पहले ही उच्च प्राधिकारियों को सूचित किया जा चुका था। सा.भ., मुख्यर्जी नगर और सा.भ. बल्लीमरान, सा.शे.वि. सहायक निदेशक (मुख्यालय), उत्तर दि.न.नि. ने बताया (नवम्बर 2013) कि कब्जे का मामला लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया था जो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में भेजा जा चुका है। उत्तर दर्शाता है कि उत्तरी दि.न.नि. ने सा.भ. के अप्राधिकृत अधिभोक्ता पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

3.9.6.3 सा.भ. में प्रदत्त सुविधाओं के सम्बन्ध में जन मानसिकता

सा.भ. में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जन मानसिकता का अनुमान लगाने हेतु चयनित 41 सा.भ. में से प्रत्येक के पास स्थित दो रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आर.डब्ल्यू.ए.) को एक प्रश्नावली दी गई। प्रश्न प्रमुखतः क्षेत्र में सा.भ. की पर्याप्तता, उनमें प्रदत्त सुविधाओं की पर्याप्तता तथा गुणवत्ता और शिकायत निवारण प्रणाली, इत्यादि पर सूचना प्राप्त करने हेतु तैयार किए गए थे। 82 आर.डब्ल्यू.ए. में से 77²³ से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण से पता चला कि:

- 44 आर.डब्ल्यू.ए. का मानना था कि बुनियादी सुविधाएँ जैसे बिजली, पानी, रसोईघर और शौचालय सुविधाएँ इत्यादि या तो अपर्याप्त थीं, या अनुपलब्ध थीं।
- 39 का विचार था कि सा.भ. में अनुरक्षण तथा सफाई संतोषजनक नहीं थीं।
- 18 ने सा.भ. की आबंटन प्रक्रिया को अभिनिर्णित किया कि वह न तो सरल और न ही प्रयोक्ता—हितैषी है।
- 17 ने महसूस किया कि प्रतिभूति जमा आसानी से वापसी—योग्य नहीं थी।
- 53 आ.क.स. को विश्वास था कि इन क्षेत्रों में समुदाय भवन पर्याप्त नहीं थे एवं 28 ने कहा कि यह आम जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं थे।
- 44 आ.क.स. ने महसूस किया कि वहाँ कोई जन शिकायत सुधारक प्रणाली नहीं थी।

सर्वेक्षण के परिणाम से सूचित हुआ कि एक ओर चयनित सा.भ. के पास आवासीय 68 प्रतिशत आम जनता ने अपने क्षेत्रों में सा.भ. की अपर्याप्त संख्या को अनुभव किया, दूसरी ओर अधिभोक्ता दर 68 प्रतिशत एच.सा.भ. में खराब अनुरक्षण तथा सा.भ. में मूलभूत सुविधाएँ प्रदान न कराने के कारण 25 प्रतिशत से कम थी। लेखापरीक्षा के सामने ऐसे उदाहरण भी आए जहाँ सात पूर्ण सा.भ. को जनता के लिए खोला नहीं गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अक्टूबर 2013 में सरकार को भेजा गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2014)।

²³ भोगल (एक) डी.वी. गुर्जा रोड (दो) और रोहिणी सौकर्ट-13 (दो) के सा.भ. के समीप कोई भी आर.डब्ल्यू.ए. नहीं मिले।

3.10 दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण

श.वि.म. द्वारा गाइडलाईन्स में कुछ परिवर्तन किए गए थे जो यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित सुधारों जिनके आधार पर नियमन 2008 बनाए गए थे, के अनुसार नहीं थे। दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों के नियमन के लिए यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाईन्स से हटकर नियमन 2008 में जून 2008 तथा जून 2012 में संशोधन किए गए। अस्थायी नियमन प्रमाणपत्र जारी करने के बारे में गाइड लाईन्स में विवार नहीं किया गया था। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सीमाओं के नियतन में कुछ विसंगतियाँ पाई गई। राजस्व विभाग द्वारा खसरों को सत्यापित किए बिना सीमाएँ निर्धारित की गई जिसके परिणामस्वरूप आ.क.स. को अधिक खसरे आवंटित हो गए। संशोधित नियमनों के उल्लंघन में सीमाओं के निर्धारण के दौरान निषिद्ध क्षेत्रों, दि.वि.प्रा. के अवरोधों तथा सीमाओं के अतिव्यापन पर विचार नहीं किया गया। रा.रा.क्षे.दि.स. का शहरी विकास विभाग मार्च 2013 तक ₹ 3029.21 करोड़ व्यय करने के बावजूद भी सभी 895 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइनें, पानी की लाईनें, सड़कें तथा नालियों जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने में विफल रहा है।

3.10.1 प्रस्तावना

दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियाँ, 1957 में दि.वि.प्रा. की स्थापना के साथ आरंभ हुए दिल्ली में योजनागत विकास के समय से नियमान हैं। शहरी विकास मंत्रालय (श.वि.म.) ने मई/जून 1993 में रा.रा.क्षे.दि.स. से एक प्रस्ताव प्राप्त किया जिसमें दिल्ली में 31 मार्च 1993 को विद्यमान अनाधिकृत कालोनियों के नियमन की सिफारिश की गई। हालांकि दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने 'कोमनकॉस (रजिस्टर्ड) सोसायटी बनाम यूआरआई एंड अन्य' शीर्षक की दायर याचिका सीडब्ल्यूपी सं. 4771/93 के एक मामले की सुनवाई के समय यूनियन ऑफ इंडिया (यूआरआई) को दिल्ली में किसी भी कालोनी को नियमित करने पर प्रतिबंध लगा दिया और यूआरआई को नियमन के लिए नीति तथा शर्तें एवं निबंधन बनाने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने का निर्देश दिया (9 दिसम्बर 1996)। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों तथा जुलाई 2000 के कैबिनेट निर्णय के आधार पर श.वि.म. ने 2001 में गाइड लाईन्स तैयार की। भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय तथा गरीबी उपशमन ने कैबिनेट नोट (जुलाई 2000) में उल्लेख किया कि दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों को नियमित किया जाएगा यदि वे अनुमोदित गाइड लाईन्स के अनुरूप होंगी तथा लाभार्थी विकास प्रभारों का भुगतान करेंगे। गाइड लाईन्स के अनुसार, 31 मार्च 1993 को विद्यमान अनाधिकृत कालोनियों के नियमन हेतु विचार किया जाना था। रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रतिनिधित्व पर गाइड लाईन्स 2001 को 2004 में यूनियन कैबिनेट के अनुमोदन के साथ संशोधित किया गया तथा नियमन हेतु कट-ऑफ तथि को मार्च 1993 से मार्च 2002 तक बढ़ा दिया गया। कैबिनेट नोट (फरवरी 2004) में अनाधिकृत कालोनियों के नियमन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है "थानीय प्राधिकारी द्वारा कुछ गाइड लाईन्स के अनुसार ले-आउट योजनाओं का अनुमोदन तथा कालोनी और उनके ढांचे को दिल्ली के मास्टर प्लान के भीतर लाना और कानून द्वारा भवन के प्रावधान को लागू करना"।

2004 की इन गाइड लाईन्स को 2007 में पुनः श.वि.म. द्वारा दिनांक 8 फरवरी 2007 के यूनियन कैबिनेट के निर्णय के आधार पर संशोधित किया गया। इन संशोधित गाइड लाईन्स पर आधारित नियमन 2008 को श.वि.म. ने अनुमोदित/ अन्तिम रूप

दिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने उन्हें मार्च 2008 में दि.वि.प्रा. अधिनियम 1957 की धारा 57 के अंतर्गत अधिसूचित किया।

नियमन 2008 के खण्ड 4 तथा खण्ड 5 में संशोधन किए गए जिन्हें दि.वि.प्रा. द्वारा क्रमशः जून 2008 तथा जून 2012 में अधिसूचित किया गया। रा.रा.क्षे.दि.स. ने नियमन के लिए 895 अनाधिकृत कालोनियों को निर्दिष्ट करते हुए दिनांक 5 सितंबर 2012 को आदेश जारी किया।

नियमन की प्रक्रिया की लेखापरीक्षा यह देखने के लिए की गई कि श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित गाइड लाईन्स कैबिनेट निर्णय के अनुरूप हैं, किए गए नियमन यूनियन कैबिनेट निर्णयों के आधार पर अनुमोदित गाइड लाईन्स के अनुसार हैं तथा सितंबर 2012 का आदेश भी नियमनों के अनुरूप था। इक्यानवें कालोनियों (895 का 10 प्रतिशत: निजी भूमि पर 312 में से 32 और सार्वजनिक भूमि पर 583 में से 59) को विस्तृत संवीक्षा के लिए यादृच्छिक आधार पर चुना गया। चयनित 91 में से 82 कालोनियों (निजी भूमि पर 27 तथा सार्वजनिक भूमि पर 55) के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए। श.वि.प्रा. द्वारा नौ चयनित कालोनियों (निजी भूमि पर पाँच तथा सार्वजनिक भूमि पर चार) से संबंधित फाइलों के साथ-साथ अनुलग्नक 3.10.1 में वर्णित अन्य अभिलेख, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए। महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों के नियमन से संबंधित श.वि.मं. में नीति फाइलों की संवीक्षा ने निम्नलिखित विसंगतियों को दर्शाया:

3.10.2 संशोधित गाइडलाईन्स (फरवरी 2007) में किए गए परिवर्तन/ संकलन यूनियन कैबिनेट के अनुमोदन के अनुसार नहीं थे

2004 की गाइडलाईन्स में आंशिक सुधार यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किए गए (8 फरवरी 2007)। तथापि श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित तथा दि.वि.प्रा. को प्रेषित (अक्टूबर 2007) गाइडलाईन्स (2004 तथा फरवरी 2007) जबकि यहाँ अनुमोदित गाइडलाईन्स में कुछ परिवर्तन/विलोपन/अतिरिक्त प्रावधान शामिल थे जिनमें यूनियन कैबिनेट का अनुमोदन नहीं था। यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित मार्गनिर्देशों की तुलना में कुछ अन्तर है (2004 तथा फरवरी 2007) यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाईन्स कहा गया है तथा श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइड लाईन्स (अक्टूबर 2007) जिसे यहाँ संशोधित गाइडलाईन्स कहा गया है की तुलना अनुलग्नक 3.10.2 में दी गई है। लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए मुख्य विपथन इस प्रकार हैं:

- **बेस मैप:** अनुमोदित मार्गनिर्देशों के अनुसार स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों के बेस मैप को आवासीय सोसाइटी जो कि योजना की सीमा को निर्धारित करती है तथा पंजीकृत वास्तुशिल्प/शहर योजनाकर्ता से कॉलोनी का नक्शा योजना तैयार करवाता है द्वारा उपलब्ध करवाया जाना था संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार आवासीय सोसाइटी पंजीकृत वास्तुशिल्प/शहर आयोजनकर्ता द्वारा तैयार कॉलोनी के नक्शा योजना को आवासीय सोसाइटी से प्राप्त किया जाना था तथा वही स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. तथा रा.रा.क्षे.दि.स. को प्रस्तुत किया जाना था।
- **नियमन के औपचारिक आदेश:** अनुमोदित गाइडलाईन्स के अनुसार नियमन के औपचारिक आदेश स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा ढांचागत कार्यों के

निष्पादन के पश्चात् दिए जाने थे जबकि संशोधित गाइड लाईन्स के अनुसार ये रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए जाने थे।

- **सीमाओं का नियतन:** पहले सीमाएँ स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा उपलब्ध कराए गए बेस मैप पर आवासीय सोसाइटी द्वारा नियत की जानी थी जबकि संशोधित गाइडलाईन्स के अनुसार रा.रा.क्षे.दि.स., आवासीय सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत एलओपी पर सीमा नियत करेगी।

गाइडलाईन्स में पैरा 4.2 के संकलन ने नियमन के फोकस को 2007 की अनुमोदित गाइडलाईन्स के अनुसार ढांचागत सुविधाओं के प्रावधान प्रावधान के प्वाइंट से बदलकर शा.वि.मं. द्वारा प्रेषित 2007 की संशोधित गाइड लाईन्स के अनुसार दि.वि.प्रा./स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित भूमि उपयोग के प्वाइंट पर कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अनाधिकृत के नियमन की शर्त के अनुसार अनाधिकृत कालोनी में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान एक साथ ही उपेक्षित हो गए और समाप्त हो गए। यह न केवल केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाईन्स के विरुद्ध था बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध था कि यदि अनाधिकृत कालोनियों को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान कराना संभव नहीं है तो उन्हें नियमित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार संशोधित गाइडलाईन्स 2007 में शा.वि.मं. द्वारा किए गए संशोधन अनियमित थे।

शहरी विकास मंत्रालय, भा.स. ने बताया (जून 2014) कि मामला विलम्बित हो चुका है इसे इस आधार पर संशोधित गाइडलाईन्स (अक्टूबर 2007 में दि.वि.प्रा. तथा रा.रा.क्षे.दि.स. को जारी की गई) द्वारा अनुमोदित किया गया था, पूर्व गाइडलाईन्स से केवल मामूली सा कार्यविधिक विचलन था तथा इस प्रकार संशोधित गाइडलाईन्स के अन्तिम स्थान्तरण पर मंत्रालय अनुमोदन को नहीं लिया गया था तथ्य बताते हैं कि गाइडलाईन्स में कुछ आवश्यक बदलाव किए गए थे जिन्हें मंत्रालय का अनुमोदन नहीं मिला था तथा जैसा कि ऊपर बताया गया है वह कार्यविधिक नहीं थे।

3.10.3 नियमन 2008 में अनियमित संशोधन

3.10.3.1 नियमन 2008 के खण्ड 5 में संशोधन

जबकि दि.वि.प्रा./रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को नियमन 2008 के खण्ड 5 के अंतर्गत रखा गया था जिसने चरणों के क्रम जैसे रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नियत सीमाएँ, स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा ले-आउट योजना का अनुमोदन, दि.वि.प्रा. द्वारा भूमि उपयोग के परिवर्तन का अनुमोदन, अनाधिकृत कालोनी के नियमन के औपचारिक आदेशों से पहले सभी आवश्यक प्रभारों का भुगतान इत्यादि जारी किए गए हैं। जून 2012 में नियमन 2008 में किए गए संशोधन ने पूरी तरह से क्रम को ऐसे बदल दिया कि ले-आउट योजना का अनुमोदन तथा भूमि उपयोग के बदलाव के अनुमोदन में नियमन के औपचारिक आदेशों को जारी करने का पालन किया जाएगा। वास्तव में जून 2012 में किए गए नियमनों के संशोधन ने अनाधिकृत कालोनी की सीमा के नियतन के पश्चात तत्काल नियतन के आदेश जारी करने को सरल बना दिया। जून 2012 में नियमन में किए गए संशोधन ने अनाधिकृत कालोनी को नियमित करने की प्रक्रिया को पर्याप्त रूप से बदल दिया जिस पर कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइड लाईन्स में विचार नहीं किया गया।

नियमितीकरण की प्रक्रिया के बदलाव के परिणामस्वरूप निजी भूमि पर 312 अनाधिकृत कालोनियाँ ले-आउट योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया कराए बिना तथा भूमि उपयोग के बदलाव के अनुमोदन के बिना सितंबर 2012 में रा.रा.क्षे.दि.स. के आदेशों के अनुसार नियमित बनी रहीं। जैसा कि ये संशोधन अनुमोदित गाइडलाईन्स के अनुरूप नहीं हैं, निजी भूमि पर 312 अनाधिकृत कालोनियाँ के संबंध में सितंबर 2012 में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नियमितीकरण घोषित किया गया।

श.वि.मं. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2014 एवं मार्च 2014) कि भा.स. (व्यापार का आबंटन) नियम, 1961 अन्य बातों के साथ-साथ श.वि.मं. को “बड़े पैमाने पर अधिग्रहण की योजनाओं, विकास तथा भूमि का निस्तारण के विषय” आबंटित करती है। इसने आगे कहा कि 2007 के पुनरीक्षित दिशानिर्देशों पर मंत्रिमंडल के निर्णयों की अनुपालना में अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए नियम तैयार किए गए तथा इस प्रकार तैयार नियम पर मंत्रिमंडल की आगे सहमति प्राप्त नहीं की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियम 2008 की धारा 5 में शामिल नियमितीकरण की प्रक्रिया 2007 के पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 पर आधारित है जिसे संघीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2007)।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने तथ्यों को स्वीकारा (जून 2014)।

3.10.3.2 नियमन 2008 के खण्ड 5.3 में संशोधन

फरवरी 2007 में अनुमोदित गाइडलाईन्स के अनुसार नियमन के लिए कालोनियों की पात्रता के लिए कट-ऑफ तिथि 2002 के हवाई सर्वेक्षण के अनुसार है जबकि नियमन का संशोधित खण्ड 5-3 हवाई सर्वेक्षण 2007 के अनुसार बनाया गया था, जोकि फरवरी 2007 के मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुरूप नहीं थी।

श.वि.मं. ने बताया (मार्च 2014) कि संशोधन किया जाना आवश्यक था क्योंकि रा.रा.क्षे.दि.स. बाउण्ड्री बनाए जाने की समस्या का सामना कर रही थी क्योंकि सैटेलाईट इमेजिस अस्पष्ट थीं तथा टेढ़ी-मेढ़ी आकार की थी जोकि बाउण्ड्री में लागए जाने के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती थीं। इसके अतिरिक्त कहा कि 2002 के हवाई सर्वेक्षण को किए जाने का तात्पर्य उन कालोनियों का पता लगाया जाना था जोकि 31 मार्च 2002 में बनाई गई थी तथा 2007 के हवाई सर्वेक्षण को उन कालोनियों की बाउण्ड्री को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए प्रयोग में लाए जाने की आशा की गई थी। तथ्य बताते हैं कि यह मंत्रिमंडल के निर्णय के विपरीत था।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने तथ्यों को स्वीकारा (जून 2014)।

3.10.3.3 अस्थायी नियमन प्रमाणपत्र को अनियमित रूप से जारी किया जाना

दि.वि.प्रा. ने जून 2008 में नियमन 2008 के 4.6.1 के प्रावधान को शामिल किया जिसके अनुसार नियमन 2008 के खण्ड 5 के अधीन जैसाकि वर्णित किया गया था अप्राधिकृत कालोनी के नियमन के लिए आवश्यक कोई कदम उठाए जाने से पूर्व रा.रा.क्षे.दि.स. अस्थायी नियमन प्रमाणपत्र जारी किए जाने में असमर्थ था। अ.नि.प्र. को जारी किया जाना फरवरी 2007 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किए गए नियमन की स्कीम में नहीं था तथा इसलिए यह एक अनियमित तथा गैर जमानती प्रयास था। जिसके परिणामस्वरूप नियमन की स्कीम में जारी किए गए 1218 अ.नि.प्र. का कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

श.वि.मं. ने अपने जवाब (मार्च 2014) में कहा कि शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के नियमों (व्यापारिक आबंटन) 1961, के अनुसार नियमनों तथा संशोधनों

को (समयानुसार संशोधन किए जाने) अनुमोदन किए जाने में सक्षम था। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित गाइड लाईन्स में अस्थायी प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने पर विचार नहीं किया गया था।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने तथ्यों को स्वीकारा (जून 2014)।

3.10.4 जून 2008 तथा जून 2012 में संशोधित किए गए नियमन 2008 का कार्यान्वयन

नियमन के खण्ड 5 में संशोधनों के आधार पर दिनांक 4 सितम्बर 2012 को आदेश जारी किए गए। इन आदेशों के अनुसार, 895 चिह्नित कालोनियों को बनाये जाने को नियमन 2008 के खण्ड 5.3 जो 6 जून 2012 को संशोधित किया गया, के अधीन अन्तिम रूप दिया गया, इसके अतिरिक्त आदेश में उल्लेखित था कि नियमनों के खण्ड 5.4 के अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों को व्यवहार में लाते हुए, निजी भूमि पर बनाई गई 312 कालोनियों को आदेश के जारी किए जाने की तिथि से तथा राजस्व विभाग से (जनवरी 2014) सार्वजनिक भूमि की 583 कालोनियों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रा.सा.क्ष.दि.स. द्वारा सार्वजनिक भूमि की लागत की वसूली की तिथि से नियमित किया गया।

श.वि.वि. के 895 चयनित कालोनियों के रिकॉर्डों की संवेद्धा से ज्ञात हुआ कि चार दिवारी के निर्माण में निम्नलिखित त्रुटियाँ थीं:

3.10.4.1 संशोधित धारा 5.3 के विरुद्ध तथा राजस्व विभाग द्वारा भूमि रिकॉर्डों के सत्यापन के बारे में चारदीवारी बनाना

नियमों की संशोधित धारा 5.3 के अनुसार, आवासीय कल्याण संघों द्वारा प्रस्तुत एलओपी पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अध्यारोपित अनुमानों द्वारा चारदीवारियों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। राजस्व विभाग ने श.वि.वि. द्वारा निर्मित चारदीवारियों पर आपत्ति दर्ज की क्योंकि 2007 का वांछनीय सर्वे आ.क.सं. द्वारा प्रस्तुत एलओपी पर आधारित नहीं थी तथा चारदीवारी विदुओं को न तो तय किया गया था और न ही उन्हें अंतिम रूप दिया गया था। ये आपत्तियाँ दर्शाती हैं कि चारदीवारियों के निर्माण में अपनाई गई पद्धति नियमों की धारा का उल्लंघन करती है।

उपरोक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त, आ.क.सं. द्वारा प्रस्तुत एलओपी को श.वि.वि. द्वारा आदेशित सर्वे में प्रमाणित नहीं किया जा सका क्योंकि श.वि.वि. वैबसाइट पर मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्रों पर राजस्व रिकॉर्डों के अनुसार खसरा संख्या की पहचान के लिए कोई संदर्भ बिंदु अथवा नियंत्रण निशान के बारे में निर्माण कार्य किया गया था। इस प्रकार, भूमि रिकॉर्डों के उचित सत्यापन के बिना कॉलोनियों की चारदीवारियों निर्मित की गई थीं।

श.वि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि वर्ष 2007 में वांछनीय सर्वे कॉलोनियों के अस्तित्व तथा संभावित निर्मित क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए किया गया था। उन्होंने आगे जोड़ा कि राजस्व विभाग द्वारा भौतिक सर्वे कराए जाने के बाद चारदीवारी निर्मित करने का कार्य किया गया तथा कहा कि सरकार ने केवल उन्हीं कॉलोनियों की सूची तैयार की जो प्रथम दृष्टया नियमितीकरण के विचारार्थ मानदंडों को पूरा करते हैं। उत्तर स्थीकार्य नहीं है क्योंकि रा.सा.क्ष.दि.स. ने खसरों की सत्यता के सत्यापन के बारे में चारदीवारियों निर्मित की तथा सितंबर 2012 में 895 कॉलोनियों को नियमितीकरण के उपयुक्त घोषित किया गया तथा प्रत्येक चिह्नित कॉलोनी की चारदीवारी को अंतिम रूप दे दिया।

3.10.4.2 भूमि स्थिति रिपोर्ट में कमियों

अस्तंबर 2012 के आदेशानुसार, निजी भूमि पर बनी कॉलोनियाँ आदेश जारी होने की तिथि से तथा सार्वजनिक भूमि की कॉलोनियाँ भूमि के लागत की वसूली की तिथि से नियमित होती है। श.वि.वि. के रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि राजस्व विभाग की भूमि स्थिति रिपोर्ट (सितंबर 2012 के पूर्व जारी) के अनुसार, 312 कॉलोनियाँ निजी भूमि²⁴ पर तथा 583 सरकारी भूमि²⁵ पर अवस्थित थी। यद्यपि, बाद में श.वि.वि. ने देखा कि राजस्व विभाग द्वारा कुछ कॉलोनियों के खसरे की स्थिति निजी से सरकारी में बदल दी गई जिससे निजी भूमि पर अनाधिकृत कॉलोनियों की संख्या 312 से घटकर 111 हो गई जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निजी भूमि की 201 कॉलोनियाँ भूमि की लागत की वसूली के बगैर नियमित हो गई।

श.वि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित असंबद्धताओं को राजस्व विभाग चारदीवारियों को अंतिम रूप दिए जाने को भौतिक सत्यापन द्वारा सुधार लेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि श.वि.वि. ने भूमि की स्थिति को बगैर-सत्यापित किए चारदीवारियों का निर्माण कर दिया।

3.10.4.3 निषेधित क्षेत्र में कॉलोनियों की चारदीवारियों का अनुमोदन

नियमों की धारा 3.3 (क) तथा (घ) वनक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि को सम्मिलित नहीं करती है तथा भा.पु.स. ने ऐसी भूमि के नियमित कॉलोनी का भाग होने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि 10 कॉलोनियों को नियमित किया गया इसके बावजूद कि वे आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः वनों/पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित थे तथा तीन कॉलोनियाँ दिल्ली सर्कल के केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों के नियन्त्रित क्षेत्र में स्थित थी।

श.वि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि स्थानीय निकायों के द्वारा एलओपी को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान अधिसूचित, नियंत्रित तथा आरक्षित वन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले अनाधिकृत कॉलोनियों को देखा जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन कॉलोनियों के संबंध में चारदीवारियों को पहले ही निर्मित किया जा चुका है।

3.10.4.4 दि.वि.प्रा. की बाधाएँ

उप-धारा 3.3 (ख) के अनुसार, विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के प्रावधान में बाधाओं का सामना करने वाली कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि 201 विनिहित कॉलोनियों में से, दि.वि.प्रा. ने मास्टर प्लान, क्षेत्रीय प्लान इत्यादि के अनुसार बाधाएँ दिखाई। इसके बावजूद, इन कॉलोनियों को नियमों की धारा 3.3 (ख) के विरुद्ध नियमित किया गया। आठ कॉलोनियों के मामले में, निश्चित खसरा से संबंधित क्षेत्रों जिन्हें दि.वि.प्रा. ने कॉलोनी की चारदीवारी से

²⁴ निजी भूमि के अधिग्रहण कार्यविधि के तहत भूमि के मामलों के सम्बन्ध में जिनको सौंपा जा चुका था परन्तु भूमि रचनियों को मुआवजा नहीं मिला था तथा प्रत्यक्ष रूप से अधिष्ठित लिया जाना था।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 81 के अधीन गाँव सभा में निहितार्थ की गई गैंव सभा भूमियों, पश्चिम भूमियों की सभी भूमियों के मामलों में जहाँ प्रत्यक्ष अधिग्रहण भूमि स्वामियों के पास था।

²⁵ निजी भूमि के अधिग्रहण कार्यविधि के तहत भूमि के मामलों के सम्बन्ध में जिनको सौंपा जा चुका था तथा भूमि रचनियों ने वर्तमान रूप से प्रत्यक्ष कब्जे को ध्यान में न रखते हुए मुआवजा ले लिया था।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के आरंभ होने पर ग्राम सभा में वास्तविक रूप से निहितार्थ की गई ग्राम सभा भूमियों, पश्चिम भूमियों की सभी भूमियों के मामले में, प्रत्यक्ष अधिग्रहण के आधार को ध्यान में न रखते हुए तथा बताए गए अधिनियम की धारा 81 के अधीन गाँव सभा में तदुरुल्प निहितार्थ की गई सभी भूमियों, यहाँ प्रत्यक्ष अधिग्रहण सरकार के पास था।

बाहर निकालने की प्रार्थना की थी, वे नियमित कॉलोनी की सूची से बाहर नहीं निकाले गए।

3.10.4.5 कॉलोनियों का अस्तित्व

नियम 2008 की धारा 3.3 के अनुसार 2002 को विद्यमान कॉलोनियों को नियंत्रित किया जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण तथा दि.न.नि. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में 2002 तक 48 कॉलोनियों के अस्तित्व की पुष्टि नहीं हुई। यद्यपि, सितंबर 2012 में रा.रा.क्ष.दि.स. के आदेश से इसे नियमित कर दिया गया।

3.10.4.6 चारदीवारियों का अतिच्छादन तथा आ.क.सं. का बहुगुणन

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 895 कॉलोनियों में से 831 की चारदीवारियाँ अतिच्छादित थीं (एक से 100 प्रतिशत की श्रेणी में)। अतिच्छादन एक कॉलोनी की दूसरी कॉलोनियों से निर्देशांक की तुलना नहीं किए जाने के कारण थी। आगे 179 कॉलोनियों, जिनमें से कई आ.क.सं.²⁶ श्रेणी के अंतर्गत आती थीं, 895 कॉलोनियों की श्रेणी में शामिल की गई थीं।

श.वि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि भौतिक सत्यापन के दौरान अनुच्छेद 3.10.4.4, 3.10.4.5 तथा 3.10.4.6 के तथा चारदीवारियों को अंतिम रूप से निर्मित किए जाने उपरोक्त मामलों में हल निकाला जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चारदीवारियों को बनाए जाने का आदेश चारदीवारियों के अतिच्छादन तथा आ.क.सं. के बहुगुणन के मामले को सुझाए बिना जारी किया गया।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया (जून 2014) कि नियमनों 2008 के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों (उप-पैराओं 3.10.4.1 से 3.10.4.6), रा.रा.क्ष.दि.स. से सम्बन्धित हैं तथा भारत सरकार इसमें कार्यान्वयन स्तर पर कार्य नहीं कर रही है। आगे कहा कि रा.रा.क्ष.दि.स. ने फरवरी 2014 के पत्र द्वारा सूचित किया कि रा.रा.क्ष.दि.स. को दिल्ली अप्राधिकृत कॉलोनियों के नियमन के लिए वर्तमान नियमनों का विस्तृत पुनरीक्षण करना चाहिए।

3.10.5 चयनित मामलों में चारदीवारियाँ निर्मित करने में कमियों

लेखापरीक्षा ने उपलब्ध कराए गए 91 मामलों में से 82 मामलों के नमूने चयनित किए तथा संवीक्षा से चारदीवारियों के निर्माण में निम्नलिखित कमियों का पता चला:

3.10.5.1 आ.क.सं. को अधिक खसरों का आवंटन

81 कॉलोनियों²⁷ में 1813 खसरे रा.रा.क्ष.दि.स. द्वारा आ.क.सं. को आवंटित किए गए जिसमें से 369 खसरों की भूमि की स्थिति रिकॉर्ड नहीं की गई थी। 62 मामलों²⁸ में, रा.रा.क्ष.दि.स. द्वारा 752 खसरे अधिक आवंटित किए गए थे जबकि आ.क.सं. द्वारा दावा नहीं किया गया था।

18 मामलों में, एलओपी की अनुपलब्धता अथवा एलओपी में अधूरी सूचनाओं के कारण खसरों के आवंटन की शुद्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

²⁶ एक से अधिक आ.क.सं. का एक कॉलोनी अथवा उसके अन्य हिस्सों पर अधिकार किए जाने का दावा

²⁷ निजी भूमियों पर 26 तथा पब्लिक भूमियों पर 55

²⁸ निजी भूमियों पर 22 की पहचान की गई तथा पब्लिक भूमियों पर 40 की पहचान की गई

3.10.5.2 चारदीवारी में रिक्त स्थानों का समावेश

81 मामलों में, रिक्त स्थानों को चारदीवारी सीमा के साथ संलग्न चारदीवारी निर्माण में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा तय कॉलोनी की चारदीवारी में अधिक भूमि के समावेश की संभावना को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

3.10.5.3 निर्मित क्षेत्र प्रतिशतता में कमियाँ

धारा 3.3 (ग) के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनियों/निवास जहाँ 50 प्रतिशत प्लॉट अनिर्मित हैं उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता है, छ: मामलों²⁹ में 2007 में निर्मित क्षेत्र प्रतिशतता 50 प्रतिशत से कम थी तब भी कॉलोनियों नियमित कर दी गई। 21 मामलों³⁰ में भिन्न निर्मित क्षेत्र प्रतिशतता के साथ एक से अधिक एलओपी रिकॉर्ड पाए गए।

कॉलोनी के मामले में (पंजीकरण सं. 47-ईएलडी) बेवसाईट पर उपलब्ध मानचित्र में निर्मित क्षेत्र प्रतिशतता 24.18 प्रतिशत दिखाया गया जबकि फाइल में उपलब्ध बेवसाईट में निर्मित क्षेत्र प्रतिशत 2007 सर्वे के अनुसार 81 प्रतिशत था। निर्मित क्षेत्र प्रतिशतता का आधार, जिस पर कॉलोनियों को नियमित किया गया था परिवर्तित कर दिया गया। सही की गई प्रविष्टि को सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित नहीं कराया गया। उपरोक्त कॉलोनी का नियमितीकरण अनियमित था क्योंकि कॉलोनी नियम 2008 की धारा 3.3 (ग) के अंतर्गत निर्धारित 50 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र के मानदंड को पूरा नहीं करती है।

श.क.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि उपरोक्त सभी कमियाँ भौतिक सत्यापन के दौरान देखी जाएँगी तथा अनधिकृत कॉलोनियों की चारदीवारियों को तय किया जाएगा। फिर भी आ.क.सं. को आवंटित अधिक खसरा तथा चारदीवारियों के निर्माण द्वारा नियमों के उल्लंघन का तथ्य शेष रहता है।

3.10.5.4 भूमि के स्वामित्व की स्थिति

81 मामलों में, आ.क.सं. ने खण्ड 4.5.2 के नियमनों 2008 के अधीन जैसा कि आवश्यक थे स्वामित्व दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया था। श.वि.सं. ने भी राजस्व विभाग से (जनवरी 2014) से भूमि स्वामित्व की स्थिति को सुनिश्चित नहीं किया था। जबकि, श.वि.मं. ने भूमि स्वामित्व को बिना कोई सत्यापन किए चारदीवारी के बनाए जाने को अन्तिम रूप दिया। संवीक्षा ने यह भी दर्शाया कि इस प्रकार श.वि.मं. द्वारा 16 निजी कॉलोनियों को घोषित किया गया। संवीक्षा में भी दर्शाया गया कि भारत के सर्वेक्षण द्वारा बनाए गए नक्शे में जैसा कि दिखाया गया है कि सरकार अथवा निहितार्थ ग्राम सभा से सम्बन्धित भूमि पर वर्तमान में आंशिक रूप से बनाई गई 16 कॉलोनियों को उसी रूप में घोषित कर दिया गया।

3.10.5.5 सम्बन्धित एजेंसियों से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की गैर-प्राप्ति

उपखण्ड 3.3 (ख) के अनुसार, कालोनियों में विभिन्न अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रावधान में रुकावटें दिखाई गई जिनको नियमित नहीं किया जा सका था। जबकि, लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा की गई 82 फाइलों में से किसी में भी, विभिन्न एजेंसियों जैसे दि.वि.प्रा., रेलवे, दि.ज.बो., दि.न.नि., एन.एच.ए.आई. इत्यादि से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' शामिल नहीं किया गया था जिससे यह सुनिश्चित किया जा

²⁹ निजी भूमियों पर 2 की पहचान की गई तथा पब्लिक भूमियों पर 4 की पहचान की गई

³⁰ निजी भूमियों पर 7 की पहचान की गई तथा पब्लिक भूमियों पर 14 की पहचान की गई

सकता कि कालोनियों के नियमन की प्रक्रिया में वास्तव में उप-खण्ड 3.3 (ख) के प्रावधानों पर विचार किया गया था।

श.वि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि बाउण्ड्री के प्रत्यक्ष सत्यापन तथा अन्तिम रूप से लगाए जाने के दौरान इन मामलों को सुलझाया जाएगा। जबाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बाउण्ड्री को लगाए जाने वाले आदेशों को विभिन्न एजेंसियों से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त किए बिना ही जारी किया गया था।

3.10.5.6 नियमित कालोनियों में सङ्कों की चौड़ाई

82 चयनित मामलों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 65 मामलों में सङ्कों की चौड़ाई अग्नि विभाग के मानकों के अनुसार नहीं थी। नौ मामलों में, सङ्कों की चौड़ाई का उल्लेख एल.ओ.पी. में नहीं किया गया था तथा आठ में, आ.क.सं. द्वारा एल.ओ.पी. प्रस्तुत नहीं की गई थी।

श.वि.मं. ने कहा (मार्च 2014) कि मामला मा.प्ला.दि.-2021 के सम्बन्धित प्रावधानों के अंतर्गत दि.वि.प्रा./स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए विशेष नियमों से सम्बन्धित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बाउण्ड्री लगाये जाने का कार्य सङ्क की चौड़ाई पर विचार किए बिना ही पूरा हो चुका था।

3.10.6 विकास निर्माण कार्यों की कमी

मा.प्ला.दि.-2021 के खण्ड 4.2.2.2 (ख) के अनुसार, सभी अप्राधिकृत कालोनियों में यह सुनिश्चित किया जाना था कि प्रत्यक्ष तथा सामाजिक अवसरंचना के सुधार के लिए कम से कम आवश्यक तथा व्यवहार्यता स्तर की सेवायें तथा सामुदायिक सुविधायें दी जानी चाहिए थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 14 फरवरी 2006 के 1994 के डब्ल्यू.पी. (सी.) सं. 725 में निर्णय किया कि "किसी मामले में राज्य प्राधिकरण मूल सेवाओं को प्रदान करने की स्थिति में न हो जिसके संदर्भ में वह स्वीकार करे कि वहाँ बहुत अधिक प्रतिबन्ध है, तब वहाँ अप्राधिकृत कालोनियों का नियमन नहीं किया जाएगा"। इसके अतिरिक्त, संशोधित गाइड लाईन्स 2007 के पैराग्राफ 7.2, में अनुबन्धित है कि अप्राधिकृत कालोनियों का नियमन सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अधीन होगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि श.वि.वि. ने अप्राधिकृत कालोनियों में मूल सेवायें प्रदान कराने के लिए 2007-13 के दौरान ₹ 3666.81 करोड़ दिए। इसके बावजूद ₹ 3029.21 करोड़ का उपयोग हुआ था। लेखापरीक्षा को विकास निर्माण कार्यों के ब्यौरे प्रदान नहीं किए गए थे। जबकि, 895 कालोनियों में निर्माण कार्यों की संवीक्षा की स्थिति को श.वि.वि. की वेबसाइट पर डाल दिया गया (अनुलग्नक-3.10.3) जिसने दर्शाया कि कार्यकारी एजेंसियों (दि.रा.ओ.अ.वि.नि., सि. एवं बा.नि., द.दि.न.नि., न.दि.न.नि. तथा लो.नि.वि.) ने इन एजेंसियों को आबंटित 891 कालोनियों में से 416 कालोनियों में सङ्क तथा नालियों के निर्माण कार्यों को पूरा नहीं किया। दि.ज.बो. 31 मार्च 2013 को 895 कालोनियों में से 797 कालोनियों में सीवर लाइन तथा 197 में पानी की लाइनें उपलब्ध कराने में विफल रहा। आवश्यक सेवाओं के प्रावधान के बिना नियमन के लिए चिह्नित अनधिकृत कालोनियों की बाउण्ड्री के नियतन के अनुमोदन से निवासी इन सुविधाओं से वंचित रह गए।

श.वि.वि. ने स्वीकार किया कि वहाँ कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की प्रत्यक्ष तथा वित्तीय प्रगति की कोई मॉनीटरिंग नहीं थी।

उपरोक्त मुद्दों को रा.रा.क्षे.दि.स. को (मार्च 2014) भेजा गया। रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (मार्च 2014) कि बाउण्ड्री नियतन की प्रक्रिया अन्तिम रूप से अभी तक पूरी नहीं

की गई है। सरकार का उत्तर इस तथ्य की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है कि दिनांक 4 सितंबर 2012 के रा.रा.क्षे.दि.स. के आदेशों में घोषित किया गया कि प्रत्येक चिन्हित कालोनी की बाउण्ड्री को नियमन 2008 के खण्ड 5.3 जो 6 जून 2012 को संशोधित किया गया, के अंतर्गत अंतिम रूप दिया गया है इसके अतिरिक्त, आदेश में उल्लेख था कि निजी भूमि पर 312 कालोनियों को आदेश जारी करने की तिथि से नियमित किया जाना है तथा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सार्वजनिक भूमि पर 583 कालोनियों को समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली भूमि का मालिकाना हक रखने वाली एजेंसी की ओर से रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सार्वजनिक भूमि की लागत की वसूली की तिथि से नियमित किया जाना था।

(डौली चक्रबर्ती)

नई दिल्ली

दिनांक: 30 जून 2014

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षर

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली

दिनांक: 1 जुलाई 2014

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक